कुरुक्षेत्र

अप्रैल 1984

मूल्य 1.50 रु.

संपादकीय

पूर्ण रोजगार की दिशा में

किसी राष्ट्र विशेष की बहबूदी और खुशहाली इस बात पर निर्भर है कि वहां के निवासी किस प्रकार अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। देश विशेष के निवासियों का जीवन उस देश के साधनों से ही चलता है। अतः बात यह आकर बैठती है कि देश के संसाधनों का स्वामित्व जिनके पास है वे संसाधनों का उपयोग इस ढंग से भी कर सकते हैं कि देश का जन-जन, बच्चा-बच्चा खुशहाल हो जाए और इस तरह भी कर सकते हैं कि खुशहाली सब लोगों में न व्याप कर कुछ सीमाओं के भीतर ही रहे।

खुशहाली को कुछ सीमाओं में बंद रखना अपने देश के लिए सदा घातक सिद्ध हुआ है। इससे देश दरिद्रता, अज्ञान, अशिक्षा को प्राप्त हुआ है और उसने अपना सम्मान खोया है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर स्वामित्व–सम्मानभोगी से आग्रह किया था कि वह अपने स्वामित्व के अधीन सम्पत्ति, कारोबार, धन, जमीन, कल-कारखानों को राष्ट्र की सम्पत्ति समझ कर संचालित करे और उससे प्राप्त लाभ का सदुपयोग इस भांति करें कि अपने साथ-साथ अधिकतम संख्या में लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचे। अधिकांशतः ऐसा न होने से ही देश को असम्मान सहना पड़ा है। यदि हम अपने साथ अपने पड़ोसी, अपने समाज, अपने देश के हितों का ध्यान नहीं रखते तो उच्चतम उपलब्धियां भी हमारा भला नहीं कर सकतीं।

प्रश्न उठता है कि आज जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं या युगों से करते आ रहे हैं वे क्या निकम्मे हैं, काम चोर हैं, या देश के प्राकृतिक संसाधन इतने कम हैं कि वे सब लोगों के दिल-दिमाग और हाथों को कार्यरत नहीं रख सकते? सुस्पष्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।

मध्यकालीन शासकों और स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों ने सभी लोगों को रोजगार देने के विषय में कभी विचारा हो कोई नहीं जानता। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद भारतीय सरकार इस बारे में पूरी तरह प्रयत्नशील रही है। जहां उसने पढ़े-लिखे व शहरी बेरोजगारों की ओर ध्यान दिया है वहां भारत के ग्रामीण लोगों की भी खैर-खबर ली है। इन्हें रोजगार देने के लिए देश भर में कार्यक्रम चालू किए हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करना और बेरोजगारी को लगातार कम करना है, जिसके लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में से ग्रामीण बेरोजगारी कम करने संबंधी एक मुख्य कार्यक्रम है "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम"। इसका हर वर्ष 30 से 40 करोड़ श्रम–दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 1620 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस राशि में केन्द्र सरकार का योगदान 980 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का योगदान 640 करोड़ रुपये होगा। योजना के पहले तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य पूरे किए गए हैं और रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की यह रफ्तार बढ़ेगी ही। निर्धारित धनराशि में भी बढ़ोतरी होगी।

गत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता से निबटने के लिए दो ऐसी नई योजनाओं का एलान किया जो समाज के बेरोजगारी से अत्यधिक प्रभावित लोगों को सीधा लाभ पहुंचाती हैं। गांव में भूमिहीन मजदूरों को और शहर में नवयुवक बेरोजगारों को। "ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम" गांवों के लिए है, जिसमें हर भूमिहीन परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को हर साल कम से कम सौ दिन का रोजगार उन दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा जब खेती में काम कम मिलता है या मिलता ही नहीं। इसके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा जाएगा। रोजगार के लिए भूमिहीनों को वरीयता दी जाएगी।

"ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम" के लिए 1983–84 में 100 करोड़ रुपये तथा 1984–85 में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिनमें 1983–84 में 6 करोड़ तथा 1984–85 में 30 करोड़ श्रम–दिवसों का रोजगार मुहैया किया जा सकेगा। (शेष पृष्ठ 17 पर)

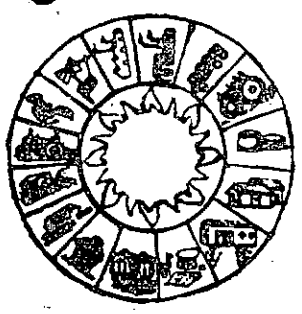

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 29 | चैत्र–वैशाख 1906 | अंक 6

इस अंक में | पृष्ठ संख्या

पथरताल ग्राम विकास परियोजना—एक वैकल्पिक प्रारुप का विश्लेषण 2
डा० बद्री विशाल त्रिपाठी

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : एक रिपोर्ट 8

थ्रेशर को चलाते समय कुछ सावधानियां 10
अक्षय कुमार जैन

ग्रामीण विकास कार्यक्रम – सही दिशा में अग्रसर 11

बदलते परिवेश में बिहार के हरिजन – कितने शिक्षित कितने विकसित 12
डा० एस० नारायण एवं विनोद कुमार

हर आँख में चमक है, हर हाथ में कुदाल 16
श्याम कुमार दास

जल प्रदूषण से उत्पन्न पेयजल समस्या का निराकरण 18
डा० ब्रजभूषण सिंह आदर्श

विकास प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन जरूरी है 19
एम० सुब्रह्मणियम

ग्रामोत्थान के लिए संगठनात्मक ढांचा – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 22
डा०आर० एस० जलाल एवं डा० एस० एस० बिष्ट

बस्तर के आदिवासियों की उल्लास स्थली – मड़ई 26
राम अधीर

मूली और स्वास्थ्य 28
डा० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े

कविताएं 29

केन्द्र के समाचार 31

श्रम और लगन का सुफल आवरण पृष्ठ 3

'**कुरुक्षेत्र**' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'**कुरुक्षेत्र**' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

पथरताल ग्राम विकास परियोजना

एक वैकल्पिक प्रारूप का

विश्लेषण

डा० बद्री बिशाल त्रिपाठी

ग्रामीण विकास समस्त विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के आर्थिक विकास की अनिवार्यता है। ग्राम्य प्रधान भारत एवं भारत जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। ग्रामीण विकास के प्रति पर्याप्त चेतना और यथेष्ठ प्रयास वर्तमान समय की विशिष्ट विशेषता और यथार्थ है। तृतीय विश्व के समस्त देश अपने इस आधारिक क्षेत्र को विकसित करने में तत्पर हैं। इसके लिए बहुविध प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व के आर्थिक साहित्य में ग्रामीण समाज और अर्थ रचना को विकसित करने के कई प्रारूप उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए इजराइल की कृषि सहकारिता, बांग्ला देश में कोमिला माडल, तंजानिया में उजम्भा, चीन में कम्यून और सोवियत रूस में सामूहिक कृषि प्रणाली आदि ग्रामीण विकास के विविध प्रारूप हैं। ग्रामीण विकास के इन विविध प्रारूपों में सम्बद्ध देशों की समाजार्थिक और राजनैतिक संरचना, भूमिनीति एवं नियोजित विकास प्रक्रिया के मूल उद्देश्यों में अंतर होते हैं। भारत में भी स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद ग्रामीण विकास के विविध प्रयोग किए गए। गुड़गांव में ब्रेन द्वारा प्रयोग, मद्रास में फिरका कार्यक्रम, इटावा प्रोजेक्ट, ग्रामदान, सामुदायिक विकास, सघन क्षेत्र, पंचायती राज इत्यादि ग्रामीण विकास के विविध प्रारूपों के उदाहरण हैं।

योजना काल में विकास की समष्टि भावी संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के अनवरत विविध प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम यथा ग्रामीण विद्युतीकरण, चमत्कारी बीजों के कार्यक्रम, ग्रामीण औद्योगीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य और अभियंत्रण सेवा, ट्राइसेम, सग्राविका, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि का लक्ष्य ग्रामीण समाज, विशेषकर ग्रामीण समाज के लक्ष्य समूहों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना रहा है। इन सबके कई धनात्मक परिणाम ग्रामीण समाज में आज स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इनके अतिरिक्त स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ही विभिन्न स्वयं सेवी संस्थानों और औपचारिक सेवा सेवास्थानों द्वारा भी व्यष्टि-भावी संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न व्यापारिक द्वारा बैंक भी "ग्राम अधिग्रहण" प्रक्रिया से गांवों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चुने हुए गांवों में बैंक विकास हेतु आर्थिक सहायता और आर्थिक क्रियाओं को गतिमान करने हेतु सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कतिपय शिक्षा संस्थाओं, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों, प्राविधिक शिक्षा संस्थानों द्वारा भी ग्राम अधिग्रहण की प्रक्रिया से चुने हुए गांवों में ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व्यष्टि-भावी विकास रूपरेखा की परिकल्पना में विकासार्थ क्षेत्र अधिग्रहण के माध्यम से इलाहाबाद जनपद में "इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नालाजी" (आई० ई० आर० टी०) द्वारा व्यष्टि स्तरीय ग्राम विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां पर इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरी एंड रूरल टेक्नालाजी इलाहाबाद द्वारा चलायी जा रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं की रूपरेखा और उनके निष्पादन स्तर का विश्लेषण किया गया है।

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जनपद के कोरांव विकास खंड के पथरताल, शंकरगढ़ विकास खंड के शंकरगढ़ और सोरांव विकास खंड के गोहरी नामक स्थान पर ग्रामीण विकास की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं। इन स्थानों का विकास मुख्य रूप से संबृद्धि केन्द्रों के रूप में किया गया है। परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों की सामाजार्थिक क्रियाओं के परिष्करण और त्वरण का कार्य इन संवृद्धि केन्द्रों से संचालित किया जाता है। परियोजना क्षेत्र गांवों के शक्य समूह के रूप में है ताकि परियोजना के अंतर्गत आने वाले गांवों और संबृद्धि केन्द्र के मध्य निकटवर्ती और प्रत्यक्ष सम्बन्ध बना रहे। यहाँ क्षेत्रीय भौगोलिक संरचना और जनसंख्या की दृष्टि से अति विशिष्ट परियोजना "पथरताल परियोजना" के लक्ष्य, औचित्य और उसके निष्पादन स्तर का विश्लेषण किया गया है।

पथरताल परियोजना की मुख्य विशेषता यह है कि इस ग्रामीण विकास परियोजना का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े संभाग बुन्देलखंड का एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। परियोजना मुख्यालय, संवृद्धि केन्द्र, इलाहाबाद से 67 कि० मी० दूर इलाहाबाद बड़ोखर सड़क पर कोरांव विकास खंड मुख्यालय से लगभग 3 कि० मी० दूर पथरताल नामक गांव में स्थित है। परियोजना क्षेत्र सहित कोराव विकास खंड का दक्षिणी भाग जो मध्यप्रदेश की सीमा से मिला है, का बाह्य परिवेश बड़ोखर पहाड़ियों की तलहटी और टौंस नदी की घाटी में स्थित होने के कारण अत्यन्त मनोरम लगता है। विशेषकर वर्षा और शरद ऋतु में कम से कम सड़क से गुजरने वाले क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ यात्रियों को तो यह अत्यन्त मनोरम लगता होगा। कोराव विकास खंड में कुल 10 न्याय पंचायतें हैं जिसमें से 4 न्याय पंचायतें सिकरों, महुली, खजुरी और बड़ोखर इस परियोजना के कार्य क्षेत्र में आती हैं।

पथरताल परियोजना क्षेत्र का अवस्थापनागत स्वरूप अत्यन्त कमजोर है। अधिकांश भूक्षेत्र पथरीला है। अधिकांश स्थानों पर जमीन की ऊपरी पर्त से 1.5 मीटर नीचे पत्थर की मोटी सतह पायी जाती है। कहीं-कहीं तो पत्थर से ही भूमि की सतह आरंभ होती है। उदाहरण के लिए परियोजना क्षेत्र के मुख्यालय का गांव पथरताल स्वयं पत्थर की चट्टानों पर ही बसा है। यहां पत्थर से ही भूमि की सतह आरंभ होती है। टौंस नदी के किनारे का क्षेत्र कटाव की समस्या से प्रभावित है। क्षेत्र की मिट्टी अत्यन्त चिकनी प्रकृति की है। जिसके कारण इसकी जल अवशोषण शक्ति अत्यधिक कम है। सिंचाई सुविधाओं की कमी और आवर्ती सूखा यहां के लिए सामान्य बात है। पथरीली सतह के कारण सिंचाई के लिए कुओं और नलकूपों का निर्माण अत्यन्त कठिन और व्यय साध्य कार्य है। अतः क्षेत्र में सिंचाई कार्य नहर के माध्यम से होता है। परियोजना क्षेत्र से जाने वाली नहर का श्रोत पठारी टौंस नदी है। इस लिए वर्षा और शरदऋतु में ही नहर से मुख्यतः पानी उपलब्ध होता है। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण दुफसली और बहुफसली क्षेत्र अत्यन्त कम है। पथरताल परियोजना क्षेत्र की उक्त 4 न्याय पंचायतों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 30,496 हैक्टेयर है जिसमें से कृषि योग्य भूमि केवल 14,798 हैक्टेयर है। वर्षा पोषित धान यहां की मुख्य फसल है। गेहूं और चना के अतिरिक्त कतिपय निचली जमीनों पर खेसारी की फसल भी उगाई जाती है।

प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित पथरताल परियोजना के सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार कोरांव विकास खंड की जनसंख्या का एक प्रमुख भाग आदिवासी "कोल" जाति का है। परियोजना क्षेत्र की सिकरों, महुली, खजुरी और बड़ोखर न्याय पंचायतों में कुल 7,949 परिवार निवास करते हैं जिनकी कुल जनसंख्या 47,847 है जिसमें से 1,618 परिवार आदिवासियों के और 1,022 हरिजनों के हैं। किसी ठोस उत्पादक आधार के अभाव में परियोजना क्षेत्र की अधिकांश आदिवासी और अनुसूचित जाति के परिवार घोर गरीबी में जीवन यापन करते हैं। जंगल से लकड़ी बीनना, कृषि श्रम के रूप में कार्य करना, पत्तल बनाना, बड़े भू-स्वामियों के यहां अत्यन्त कम मजदूरी पर कार्य करना या बेगार करना ही उनके जीवन का सत्य है। भू-संरचना की प्रतिकूलता और आर्थिक क्रियाओं के गैर-विविधीकरण के कारण यद्यपि समस्त क्षेत्र पिछड़ा है। परन्तु गरीबी, निरपेक्ष गरीबी का विशेष संकेन्द्रण आदिवासी परिवारों में रहा है। परियोजना के प्राथमिक प्रतिवेदन के अनुसार 1979 में समस्त हरिजन आदिवासी परिवारों की वार्षिक औसत आय रु० 1,500 वार्षिक से कम थी। कुल परिवारों में 41.9 प्रतिशत परिवारों की आय रु० 1,500 वार्षिक से कम और 46.2 प्रतिशत परिवारों की आय रु० 1,500 से 3,000 के मध्य थी। केवल 11.9 प्रतिशत परिवारों की आय रु० 3,000 से अधिक थी। आय की उक्त विषम स्थिति का कारण परियोजना क्षेत्र में भू-स्वामित्व का असमान वितरण रहा है। परियोजना क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं की अत्यन्त कमी है। क्षेत्र में कुल 19 प्राथमिक पाठशालाएं एवं जूनियर हाई स्कूल हैं जबकि स्कूल जाने वाली आय वर्ग के बच्चों की संख्या 1979 में 18,373 थी। परिणामतः या तो बच्चे शिक्षा जैसी अनिवार्यता से वंचित रह जाते हैं अथवा उन्हें 5 से 7 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है जिससे उनका श्रम और समय तो व्यर्थ जाता ही है साथ-साथ उनकी असुरक्षा की भावना अभिभावकों में बनी रहती है। जूनियर हाई-स्कूल के पश्चात परियोजना क्षेत्र में हाई-स्कूल या इससे ऊपर की शिक्षा के लिये भी समुचित शिक्षा व्यवस्था नहीं है। परिणामतः शिक्षा का स्तर अत्यन्त नीचा है। परियोजना क्षेत्र में केवल दस प्रतिशत लोग साक्षर हैं। महिलाओं में तो साक्षरता नगण्य है। परियोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और पोषक आहार की अल्पता सामान्य बात है। इसके कारण क्षेत्र के निवासियों में विकलांगता और कुसमय मृत्यु की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। परियोजना क्षेत्र में विधवाओं की संख्या 710 है और अन्धों की संख्या 93 है। परियोजना क्षेत्र में 158 लोग विकलांग है। परियोजना क्षेत्र के अधिकांश गावों में लंगड़ेपन की बीमारी एक दुरूह समस्या है। पोषक तत्वों की कमी और कुपोषण के कारण दोनों पैरों की ताकत समाप्त हो जाने से लाठी उनके जीवन का एक स्थायी सहारा बन जाती है। परियोजना क्षेत्र की कृषि प्रणाली नितांत अक्षम और परंपरावादी है। यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहां के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या बनी रहती है। परियोजना क्षेत्र में पुलिस मुख्यालय, बैंक, टेलीफोन, राजकीय औषधालय आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी सुविधायें प्राप्त करने के लिए लोगों को कहीं-कहीं तो 20 से 30 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। भूमिहीन लोगों की स्थिति अधिक खराब है। परियोजना क्षेत्र में 1930 भूमिहीन परिवार हैं जिन्हें अकुशल श्रम के रूप में निम्नस्तरीय मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है। आधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर इन परिवारों की आवासीय स्थिति अत्यन्त खराब है।

पथरताल क्षेत्र की उक्त विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आई०ई० आर०टी० इलाहाबाद और इलाहाबाद ग्राम स्वराज्य समिति के तत्वावधान में पथरताल ग्राम विकास परियोजना 1979 में आरंभ की गयी। 5 वर्ष की इस ग्रामीण विकास परियोजना में यह लक्ष्य रखा गया कि समस्त निर्धन परिवारों की आय रु० 3,600 से अधिक करने का प्रयास किया जायेगा ताकि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। इस प्रक्रिया में यह सोचा गया था कि परियोजना पूर्ण होने तक समस्त विधवाओं, विकलांगों और अन्धों सहित कुल 5,700 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा। परियोजना क्षेत्र की चार न्याय पंचायतों के विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गयी ताकि भविष्य में परियोजना क्षेत्र की 40 प्रतिशत जनसंख्या खेती से, 40 प्रतिशत जनसंख्या व्यावसायिक क्रियाओं से, शेष 20 प्रतिशत जनसंख्या ग्राम एवं कुटीर उद्योगों से अपनी आजीविका कमा सके। 5 वर्षों की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में परिसम्पत्ति, अवस्थापनागत सुविधा, विविध ग्रामीण

और लघु उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि के लिए लगभग 1.16 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है ताकि परियोजना अवधि में प्रति व्यक्ति विनियोग राशि 243.32 रुपये अवश्य हो जाये। अंगीकृत विकास प्रक्रिया में उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र, सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, कुटीर और ग्राम्य उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, पशुधन विकास केन्द्र, प्रदर्शन फार्म एवं भूमिहीन श्रमिकों के लिए सहकारी समितियां खोलने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन के विकास, निराश्रितों के लिए व्यापार विकास कार्यक्रम और पी० आर० ए० आई० किस्म के शौचालयों के विकास के भी कार्यक्रम बनाये गये। सर्वाधिक महत्व इस बात पर दिया गया है कि जन-जागरण आवश्यक है जिसके अभाव में स्थानीय जनशक्ति सरकार द्वारा संस्थागत और तकनीकी सुधार के लाभ नहीं उठा पाती। अनिवार्यतः गरीबी के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं के माध्यम से प्रसारित सुविधाओं का भी लाभ सम्यक जानकारी के अभाव में दूरस्थ ग्रामीण गरीब नहीं उठा पाते हैं। पथरताल क्षेत्र की परिस्थिति को देखते हुये आई०ई०आर०टी० के निदेशक श्री आर० एन० कपूर का विचार कि "स्थानीय संसाधनों और क्षेत्र की जरूरत में सह सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिये ताकि समस्या का स्थाई और शक्य समाधान खोजा जा सके" समीचीन प्रतीत होता है क्योंकि स्थिति विशिष्ठ कार्यक्रमों से ही क्षेत्र विशेष की निरपेक्ष गरीबी की समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है। नितांत तकनीकी संस्था से सम्बद्ध घोषित लक्ष्य न होते हुए भी अभाव-ग्रस्त लोगों के लिये कार्यक्रम बनाने, संसाधन जुटाने, कार्यक्रम लागू करने, गरीब के प्रति हार्दिक लगाव रखने और गत्यात्मक साहसीय वृद्धि सराहय होती ही है। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना द्वारा अंगीकृत उद्देश्यों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :

—परियोजना क्षेत्र के समस्त गरीब परिवारों की आय गरीबी रेखा स्तर से ऊपर उठाना।

—परियोजना क्षेत्र की समस्त विधवाओं, अन्धों, और विकलांगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना।

—संतुलित सामाजिक और आर्थिक ढांचा तैयार करना जहां कृषि, पशुपालन, व्यापार और कुटीर उद्योगों का इस प्रकार विकास हो ताकि ये सब लोगों के लिये न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिये आय सृजित कर सकें।

—सामाजिक सेवाओं यथा बैंक, पोस्ट आफिस, सहकारी समिति, स्कूल, अस्पताल और सेवा केन्द्रों को विकसित करना तथा विद्युत, सड़क और समुचित परिवहन माध्यमों का प्रसार करना।

—परिवर्तनीय परिस्थितियों और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विविध उद्योगों और व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण सुविधा का विकास करना।

—उपयुक्त प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण हेतु प्रदर्शन इकाई का प्रसार।

—ग्राम विकास के ऐसे प्रारूप का विकास करना जो सरकार और ग्रामवासियों के सहयोग से कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ग्राह्य हो।

पथरताल ग्राम विकास परियोजना का आरंभ बरनपुर नामक गांव में स्थित धीरेन्द्र आश्रम को मुख्यालय बना कर किया गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व ग्राम सभा और एक कृषक द्वारा स्वेच्छा से भूमि दान किये जाने के आधार पर परियोजना का मुख्यालय और विभिन्न उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में किया जाने वाला यह निर्माण कार्य, जो लगभग पूर्ण होने वाला है, एक नवीन आशा की किरण के रूप में उभर रहा है। सम्प्रति कुछ कार्यक्रम धीरेन्द्र आश्रम, बरनपुर और कुछ अन्य परियोजना मुख्यालय पथरताल से संपादित किये जा रहे हैं। यदि अधिक तकनीकियों पर ध्यान न दिया जाये तो पथरताल ग्राम विकास परियोजना द्वारा किये जाने वाले कार्यों को मूलतः 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है : उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा प्रसार कार्यक्रम, सहायतार्थ कार्यक्रम एवं जन चेतना सृजन के कार्य।

उत्पादन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन इस परियोजना में धीरेन्द्र आश्रम बरनपुर और पथरताल में कार्य चल रहा है। दोनों स्थानों को मिलाकर उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सिलाई, बुनाई, बढ़ईगीरी, चर्मकला, टंकण, मोटर वाइन्डिंग, कालीन बुनाई एवं दलहन की इकाईयां क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 5 उत्पादन-प्रशिक्षण इकाइयों के लिये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अंगीकृत मूल संकल्पना के अनुरूप इन इकाइयों का पैमाना अत्यन्त छोटा है। इन सब में उत्पादन के साथ अनिवार्यतः प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 65 रुपये से 75 रुपये तक वृत्तिका दी जाती है। तैयार माल अपनी शुद्धता और गुणवत्ता के कारण अपनी मांग सृजित करने में सर्वथा समर्थ है। उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्रों का मात्रात्मक अनुगणन तो अधिक आशावादी नहीं है परन्तु कार्ययुक्ति और पद्धति से आशा बंधती है। बढ़ईगीरी व्यवसाय से अब तक यहां से 18 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जो सभी स्वरोजगार अपनाकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे हैं। इनमें से अधिकतर प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार के रहे हैं जिनका पैतृक व्यवसाय बढ़ईगीरी नहीं रहा है। सिलाई और बुनाई इकाई में मूलतः ग्रामीण महिलाओं को ही प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक लगभग 25 महिलाओं को सिलाई और बुनाई कार्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है। 5 महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदकर घर पर सिलाई कार्य आरंभ कर दिया है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गृह कार्य संपादित करते हुए अंशकालिक रूप में कार्य करने पर भी उन्हें औसतन 100 रुपये से 150 रुपये तक मासिक आय प्राप्त हो जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं में किसी को भी कोई पूर्व अनुभव न था। चर्मकला उत्पाद प्रशिक्षण इकाई में 12 नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वे सभी परंपरागत रूप से चर्मकला का कार्य करने वाले परिवारों से आए हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति अब वर्तमान मांग के अनुसार

विभिन्न वस्तुएं निर्मित कर लेने में समर्थ हैं। प्रशिक्षितों में से 3 व्यक्तियों ने अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित कर लिया है। कालीन बुनाई केन्द्र पर 150 लोगों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से करीब 20 लोग विभिन्न कालीन बुनाई केन्द्रों पर रोजगार प्राप्त कर अपनी आजीविका चला रहे थे। हाल के दिनों में कालीन निर्यात व्यापार में अधिक प्रतियोगिता के कारण व्यवसाय को कठिनाई हो रही है। इस कारण इन प्रशिक्षित लोगों में से कुछ को वापस होना पड़ रहा है। मुख्य बात यह है कि उक्त सभी उत्पादन प्रशिक्षण इकाइयां आवर्ती खर्चों के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो गयी हैं। टंकण शिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के लिये रोजगार प्राप्ति समस्या बनी है। केवल एक प्रशिक्षित व्यक्ति तहसील मुख्यालय पर टंकण मशीन खरीदकर अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर रहा है। ट्रैक्टर रिपेयरिंग, मोटर वाइंन्डिग और दलहन इकाइयां अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं। सभी इकाइयों में प्रशिक्षण पाने वाले लोग सम्बद्ध 4 न्याय पंचायतों से ही चुने जाते हैं।

शिक्षा का नीचा स्तर और प्रातिशत्य परियोजना क्षेत्र की एक अति गंभीर समस्या है। इससे परियोजना क्षेत्र के पिछड़ेपन को बल मिलता रहा है। इस दिशा में परियोजना क्षेत्र की कार्य प्रगति सराहनीय है। पथरताल ग्राम विकास परियोजना के तत्वावधान में सम्प्रति दो प्राथमिक शिक्षण संस्थायें कार्य कर रही हैं। प्रथम शिक्षण इकाई धीरेन्द्र आश्रम परिसर में संचालित है जहां पांचवीं कक्षा तक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस विद्यालय में 175 विद्यार्थी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय में निकटस्थ गांवों की छात्र-छात्राओं का समावेश उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षण अवधि में छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अत्यन्त कम है। प्रथम वर्ष को छोड़कर अगली कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ने की सूचना नहीं दी गयी। बच्चे अपेक्षाकृत अधिक जागरूक और चैतन्य प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना मुख्यालय पथरताल में एक बालबाड़ी चलाई जा रही है। जिसमें 38 बच्चे नामांकित हैं। दोनों विद्यालयों का वृद्धिमान संख्यात्मक स्तर इनके प्रभावी कार्यान्वयन का द्योतक है। परियोजना क्षेत्र के 15 गांवों में बालबाड़ी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहारा लिया जाता है और यह प्रयास किया जा रहा है कि "दीप से दीप जलाने" की अवधारणा को कार्यान्वित कर ग्रामीण जन समुदाय को साक्षर और जागरूक बनाया जाये।

पथरताल ग्राम विकास परियोजना के अधीन कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादक आधार बनाने के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। परियोजना क्षेत्र में गाय, बैल, भारवाहक पशु, सूअर और बकरी पालने हेतु कुल 28 लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कुछ महिलाओं को परियोजना की ओर से सिलाई मशीन प्रदान की गयी है। सिंचाई के लिये बावली बनाने और उनपर "विण्ड-मिल" लगाने का कार्य किया जा रहा है। कोरांव बाजार में एक ओर परंपरागत व्यवसाय के रूप में सूप बनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की एक बस्ती है। कच्चे पदार्थ और वित्तीय कठिनाइयों के कारण इनका यह व्यवसाय प्रायः लुप्त होने की स्थिति में आ गया था। परियोजना ने वित्तीय सुविधा और कच्चे पदार्थ की व्यवस्था कर इस व्यवसाय को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया है। परियोजना द्वारा 3 लोगों को लाउडस्पीकर क्रय करने और एक परिवार को चर्मकला कार्य चलाने के लिये वित्तीय सुविधा प्रदान की है। इसी क्रम में परियोजना द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय और स्थानीय लोगों को परियोजना क्रियाओं से अवगत कराने के लिये तथा विभिन्न प्रकार के अन्य सेवा कार्य हेतु कोरांव और बड़ोखर नामक स्थानों पर दो सेवा केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं।

पथरताल ग्राम विकास परियोजना का एक अत्यन्त प्रभावी पक्ष परियोजना क्षेत्र में जन चेतना सृजित करने का है। कमजोर आर्थिक स्थिति, अशिक्षा, पिछड़ेपन और पराश्रित आजीविका आधार के इस क्षेत्र का व्यापक जन समुदाय दीर्घकाल से शोषित और उपेक्षित रहा है। इसी कारण अपने प्रति किये जाते प्रतिकूल व्यवहारों के लिये विरोध की भाषा देने में भी सक्षम न था। परियोजना क्षेत्र में जन चेतना अभ्युदय के वृद्धिमान लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक गांव व विभिन्न पुरवों में एक-एक ग्राम विकास समिति बनाई गयी है जिसके तत्वावधान में प्रत्येक गांव में ग्रामीणों द्वारा प्रतिमाह एक औपचारिक सभा की जाती है जिसमें गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है और निदानार्थ सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है। आयोजित सभाओं में परियोजना की ओर से विभिन्न विशेषज्ञों की सलाह और उनके कार्यगत अनुभवों से ग्रामीणों को लाभान्वित कराया जाता है। ग्राम विकास समिति के सदस्य अपने श्रोतों से एक "ग्राम कोष" का सृजन करते हैं जिसके लिए इसकी सीमा में आने वाले ग्राम विकास कार्य के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। परियोजना द्वारा दी जाने वाली सहायता सीधे लाभार्थी तक न पहुंच कर ग्राम कोष को जाती है तथा ग्राम विकास समिति द्वारा लाभार्थी को सहायता दी जाती है। ग्राम विकास समितियों के अध्यक्षों को मिलाकर सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र के कार्यों को सम्पन्न करने के लिये एक "परियोजना कार्यान्वियन समिति" बनाई जाती है जिसका सचिव एक परियोजना कर्मचारी होता है। अब तक इन समितियों का कार्य निष्पादन नितांत प्रजातांत्रिक और अनूठा है। ग्रामीण यह मानने लगे हैं कि ग्रामीण समस्याओं के निदान में सबका समन्वित प्रयास अधिक प्रभावी होगा। इन प्रयासों के फलस्वरूप गांव में अतिरिक्त घोषित भूमि के पुनर्वितरण, उस पर स्वामित्व ग्रहण, सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव, ग्रामीण विद्यालयों के निर्माण और रख रखाव आदि के प्रति अब जन मानस अत्यन्त सचेष्ट है। जातिगत और रूढ़िगत रीति रिवाजों के बंधन ढीले होने लगे हैं। वे अपनी समस्याओं को सामूहिक रूप से सम्बद्ध अधिकारियों तक पहुंचाने में समर्थ हो गये हैं। स्थानीय जन समुदाय को धीरेन्द्र आश्रम स्थित, योग्य चिकित्सक युक्त, अस्पताल से प्रतिदिन नियमित रूप

से चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें प्रदान की जाती हैं। यद्यपि अस्पताल में वांछित सुविधाओं की नितांत कमी है तथापि जन समुदाय को इससे आशा बंधती है।

देश में घटते हुए कोयले व खनिज तेल के भंडारों और खनिज तेल पर विश्व के एक छोटे से हिस्से के कुछ देशों के एकाधिकार तथा उसका एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में किए जाने वाले उपयोग ने एक ऐसा संकट उत्पन्न कर दिया है जिससे सभी देशों के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के सम्मुख वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों को खोज निकालने और उनसे व्यावसायिक स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन करने की सरल व सस्ती विधि खोज निकालने की एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है। इस समष्टिगत समस्या से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अति गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त देश में इस समय विकास प्रक्रिया को द्रुत करने के लिए जटिल पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। जटिल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निश्चित ही औद्योगीकरण की गति तीव्र हो गई है। आर्थिक अवस्थापना का निर्माण हुआ है। आधारिक उद्योगों का समुचित विकास हुआ है और अनेक उपभोग वस्तुओं का बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा है, परन्तु इसके लाभों से ग्रामीण क्षेत्र, जो पहले से ही अभाव ग्रस्त था, वंचित रह गया। आवश्यकता के अनुरूप वहां उद्योगों और रोजगार अवसरों का विकास नहीं हो सका है इसके साथ-साथ हमारे देश में कुटीर और ग्रामोद्योगों में एक पारंपरिक प्रौद्योगिकी भी प्रचलन में है जो वर्तमान संदर्भों में अनुपयुक्त सिद्ध हो गई है। इससे उत्पादित वस्तु महंगी और घटिया किस्म की होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग हेतु एक ऐसी ग्रामीण प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है जो पारंपरिक प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक क्षमता युक्त और उत्पादक हो परन्तु जटिल प्रौद्योगिकी के समान पूंजी प्रधान और बड़े पैमाने की न हो। इन दोनों संदर्भों से सम्बद्ध पथरताल परियोजना का एक विशिष्ट आकर्षण वैकल्पिक एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु एक प्रदर्शन इकाई की स्थापना करना है। वैकल्पिक एवं नवकरणीय ऊर्जा श्रोतों और ग्रामीण प्रौद्योगिकी की यह प्रदर्शन इकाई पथरताल ग्राम विकास पयियोजना से मिले 5 एकड़ भू क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लगाई जा रही है जिसमें सौर ऊर्जा, वात ऊर्जा, जैव ऊर्जा एवं कूड़ा कचरे से ऊर्जा की प्रदर्शन इकाईयां लगाई जाएंगी। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादों की कटाई और मड़ाई, धान तथा दालों की कुटाई, तेल घानी, हथकरघा, विकसित चरखा और छोटे-छोटे शक्ति चालित यंत्रों, जिन्हें ग्रामीण सरलता से अंगीकृत कर सकें की प्रदर्शन इकाई लगाई जाएंगी। निर्माणाधीन इस प्रदर्शन इकाई पर मार्च 1984 तक कार्य पूरा होने का लक्ष्य है।

पथरताल ग्राम विकास परियोजना जो प्रस्तावित अवधि के अनुसार अपने अंतिम चरण में है, आंशिक सफलता का ही चित्र प्रस्तुत करती है। वस्तुतः किसी नवीन परियोजना को क्षमता और लक्ष्य तक कार्य निष्पादन में समय तत्व अधिक हो ही जाता है क्योंकि विभिन्न अवस्थापनागत सुविधाएं सृजित करने एवं निर्माण कार्य सम्पन्न करने में भूमि और अन्य आगतों की वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, प्राप्त करने में स्वभावतः विलम्ब हो जाता है। जैसा भी है परियोजना क्षेत्र में गरीबी निवारण, जनसंख्या का व्यावसायिक स्थानान्तरण, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति कार्यक्रम, विधवाओं, अंधों और विकलांगों के पुनर्वास की वस्तुस्थिति अभी लक्ष्य से दूर है, परन्तु इन दिशाओं में आशावादिता के साथ अग्रसर होना उसके संभावित सफल भविष्य की ओर संकेत करता है। शक्यता का सिद्धान्त यह निर्देश करता है कि विकासार्थ अंगीकृत क्षेत्र कार्यक्रम चलाने वाली मूल इकाई से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। भौगोलिक दूरी अधिक होने पर परियोजना के निर्देशन और प्रभावी कार्यान्वयन में कठिनाई और अपव्यय होता है। कार्यान्वयन में विलम्ब होता है। यदि मूल संस्था के निकट पिछड़े और विकास संभावना वाले क्षेत्र न हों तब दूर तक जाना न्यायोचित ठहराया जा सकता है। यह दोष उक्त परियोजना में निहित है। यही कारण रहा है प्रस्तावित योजना में कुछ निर्माण कार्य अब भी पूरे किए जाने हैं। तथापि आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से सीमान्त क्षेत्र होने के कारण इस परियोजना के चुनाव की उपादेयता और उपयुक्तता में संशय नहीं किया जा सकता है। सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र और व्यक्ति को विकास कार्यक्रम में सर्वोच्च वरीयता देना युग की अनिवार्यता है और सामाजिक न्याय की पूर्वापेक्षा है। विख्यात सर्वोदयी विचारक धीरेन्द्र मजूमदार द्वारा स्थापित धीरेन्द्र आश्रम को अवरुद्ध गतिविधियों को त्वरित करने के परिप्रेक्ष्य में इस परियोजना की सार्थकता अधिक बढ़ जाती है। परियोजना क्षेत्र पर जहां उत्पादन प्रशिक्षण इकाइयां कार्यरत हों, स्वास्थ्य सेवा की स्थाई इकाई हो, विभिन्न गांवों में सामाजिक कार्यकर्ता फैले हों, भवन, उद्योग और मशीन के रूप में स्थाई परिसम्पत्ति सृजित की जा रही हो वहां परियोजना अधिकारी का किसी न्यूनतम् समय अन्तराल के बाद भी जाना एक खटकने वाली बात है। परियोजना क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर तक वेतन दिया जाना किसी न किसी रूप में उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है यद्यपि इसका मूल कारण परियोजना की कमजोर आर्थिक स्थिति, सहायता की कमी और अनिश्चितता है। परियोजना सचिव श्री एस०के० नारायण से औपचारिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकला कि वित्तीय आवश्यकताओं के साथ परियोजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सर्व प्रमुख समस्या ग्रामीण विकास के प्रति नितांत समर्पित प्रशिक्षित और प्रबन्ध कुशल ऐसे व्यक्तियों की कमी है जो स्तरीय वेतन एवं सुविधाओं के साथ नगर से दूरस्थ गांव में रहकर वहां भी विकास कार्य में रुचि रखें।

उपरोक्त विसंगतियों के बावजूद आई० ई०आर०टी० इलाहाबाद द्वारा ग्राम स्वराज समिति द्वारा संचालित पथरताल ग्राम विकास परियोजना एक अनुकरणीय और अन्य संस्थाओं के लिए एक मार्गदर्शी योजना

के रूप में उभर रही है। उक्त ग्राम विकास परियोजना यह चाहती है कि आधारिक रूप से गांव में गांव की वस्तुएं, परम्पराएं और संभावनाओं को विकसित किया जाए न कि गांव को नगर बनाने की कोशिश की जाये। गांव में नगर का जीवन दर्शन, सुख सुविधाएं नहीं बल्कि गांव का जीवन दर्शन और वहां की सुख सुविधायें सबसे कमजोर लोगों को उत्पादक बनाकर प्रसारित की जानी चाहिए। इस दृष्टि से परियोजना का दर्शन और कार्य पद्धति सर्वथा सराहनीय है। उक्त 4 न्याय पंचायतों का प्रत्येक व्यक्ति पथरताल परियोजना से अवगत है और अपनी भागीदारी अर्पण करने में तत्पर है। जन सहयोग किसी व्यष्टि स्तरीय विकास प्रक्रम की एक आवश्यक शर्त है जिसका एक आदर्श स्वरूप यहां प्रदर्शित है। इस ग्रामीण विकास प्रारूप को वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के लिए गहन रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के विकल्प रूप में तो अंगीकृत नहीं किया जा सकता है परन्तु यदि देश में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और तकनीकी संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम विकास परियोजनाओं का जाल फैल जाए, जिसके लिए राजकीय नीतिगत समर्थन वित्तीय सुविधा आवश्यक है, तो ग्राम विकास के लिए चलाए जाने वाले व्यापक कार्यक्रमों की निष्पादन प्रक्रिया में अवश्य ही त्वरण उत्पन्न हो जायेगा। निःसहाय के दर्द जनित टीस का अनुभव की मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त सर्व प्रमुख नियामक शक्ति मिली है। इसी नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करने को उद्यत होता है। पथरताल क्षेत्र के निवासियों के दर्द की टीस का अनुभव कर उसके निदानार्थ व्यावहारिक योजना बनाकर कार्यान्वयनगत तनाव सहज कर परियोजना संचालकों ने अपने कर्त्तव्य पक्ष के साथ निर्वाह का मार्ग अपनाया है, जिसकी पूर्णाहुती प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति और परियोजना की सतव्यता तथा उसे सर्वथा शक्य बनाने से ही होगी। □

78/3 बांध रोड, एलनगंज,
इलाहाबाद-211002

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक चिकित्सा सुविधाएं

संसद के दोनों सदनों द्वारा हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्वीकृत की गई है उसमें रोगनाशक सेवाओं पर बल देने की अपेक्षा प्रोत्साहनात्मक सेवाओं और निवारक-पहलुओं तथा ग्रामीण क्षत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के विस्तार पर जोर दिया गया है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मलेरिया और अतिसार जैसे रोगों पर, जो अधिकांशतः गरीब लोगों को प्रभावित करते हैं, नियंत्रण पाने के लिए वर्ष 1983-84 में प्रयास और ज्यादा तेज किए गए हैं।

स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक विकास का एक अनिवार्य अंग है। इस प्रकार का दृष्टिकोण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार अपनाया गया। इस कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और ज्यादा तेज किया गया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए छठी योजना में आबंटन बढ़ाकर 5 अरब 76 करोड़ रुपये किया गया है। पांचवीं योजना के दौरान यह एक अरब 20 करोड़ तीस लाख था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए जो राशि आबंटित की गई है इसे अन्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योजना आबंटन का 60 प्रतिशत से अधिक अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए रखा गया है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण औषधालयों के अतिरिक्त राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित दाइयों और स्वास्थ्य सेवकों, उप केन्द्रों पर पुरुष और महिला बहुदेशीय सेवकों, तथा सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। ग्रामीण जनता को विशेषज्ञ सेवाएं उच्चस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों, चिकित्सा कालेजों और अन्य चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक 30 हजार जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को प्रत्येक 20 हजार जनसंख्या के लिए एक केन्द्र चरणबद्ध ढंग से खोलने का प्रस्ताव है। न्यूनतम आवश्यकता केन्द्र कार्यक्रम योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। फिर भी, प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भारत सरकार प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च को वहन करने पर सहमत हो गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रशिक्षित दाइयों और उपकेन्द्र तैयार करने की योजना है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत बिहार, केरल, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ कर पूरा देश शामिल है। बिहार स्वास्थ्य सेवक योजना क्रियान्वित करने पर सहमत हो गया है। परन्तु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अभी शुरु नहीं हुआ है। राज्य द्वारा इसे शीघ्र शुरु करने की सम्भावना है। जम्मू-कश्मीर, केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश वैकल्पिक योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं।

वर्तमान में, 50 करोड़ 19 लाख ग्रामीण जनसंख्या म से 11 करोड़ 46 लाख 90 हजार जनसंख्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत आती है। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत अभी तक 67.15 प्रतिशत जनसंख्या आती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत 5,955 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 65,643 उपकेन्द्र, 3,182 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और 471 सामुदायिक केन्द्र काम कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के आरम्भ में 2 लाख 50 हजार स्वास्थ्य सेवक और 4 लाख 45 हजार दाइयां काम कर रही थीं। □

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एक रिपोर्ट

ग्रामीण विकास मंत्री ने 1 फरवरी, 1984 को उत्तर प्रदेश का दौरा किया तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और चल रहे अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया। सचिव, (ग्रामीण विकास) ने 31 जनवरी से 1 फरवरी, 1984 तक उड़ीसा का दौरा किया तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभारी राज्य सचिवों का एक सम्मेलन 6 तथा 7 फरवरी, 1984 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्री महोदय ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य सचिवों से कहा कि वे योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने प्रयासों को तेज करें। उन्होंने इन कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सातवीं योजना हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सम्बद्ध योजनाओं से संबंधित उप-दल की दूसरी बैठक सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में 23 जनवरी, 1984 को हुई थी। इस मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा परिचालित सातवीं योजना में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से संबंधित कागजातों पर इस बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। उपदल के अन्य सदस्यों द्वारा परिचालित कागजातों पर भी विचार किया गया। बैठक में हुए इस विचार विमर्श के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि एक विस्तृत मसौदा तैयार किया जाए तथा उसे सदस्यों में उनकी टिप्पणी हेतु परिचालित किया जाए।

केन्द्रीय संस्वीकृति समिति की बैठक (1) खण्ड प्रशासन और (2) मुख्यालय स्थित मानिटरिंग सैलों को सुदृढ़ बनाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 13 जनवरी, 1984 को हुई थी। तीन राज्यों में खण्ड प्रशासन को और दो राज्यों में मानिटरिंग सैलों को सुदृढ़ बनाने के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सहकारिता पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 17 से 19 जनवरी, 1984 तक वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, पुणे में हुई थी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/विशेष पशुधन संवर्द्धन के अधीन परिसम्पत्तियों के बीमे की समस्याओं के बारे में जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के साथ दूसरी अनुवर्ती बैठक सचिव (ग्रा० वि०) की अध्यक्षता में 24 जनवरी, 1984 को हुई थी। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि दुधारू पशुओं और अन्य परिसम्पत्तियों के बीमा संबंधी दावों का निर्धारण करने और अन्य पहलुओं के लिए क्या क्रियाविधि अपनाई जाए, इसका पता लगाने के लिए क्षेत्रीय आधार पर कुछ अध्ययन किए जाएं।

दोगली किस्म की ओसरों के पालन तथा विशेष पशुधन संवर्द्धन कार्यक्रम एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन उनकी यूनिटों की स्थापना पर एक संगोष्ठी का आयोजन पशुपालन निदेशालय, महाराष्ट्र के सहयोग से नागपुर में 30 जनवरी से पहली फरवरी, 1984 तक किया गया था। इस संगोष्ठी में 18 राज्यों और 2 केन्द्र शासित क्षेत्रों ने भाग लिया।

समीक्षाधीन अवधि में सहायक-अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1041.895 लाख रुपये बंटित किए गए थे। अब तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 1983–84 में 10,603.00 लाख रुपये बंटित किए गए हैं। इस राशि में खंड-स्तरीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और राज्य मुख्यालयों में मानिटरिंग सैलों को खोलने के लिए बंटित किए गए 135.32 लाख रुपये भी शामिल हैं। दिसम्बर, 1983 तक संग्रह की गई सूचना के अनुसार 1983–84 में 18.32 लाख लाभभोगियों को सहायता दी गई है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 7.36 लाख लाभ भोगी शामिल हैं (जो 40 प्रतिशत बनते हैं)। 1 दिसम्बर, 1983 तक 193.39 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया है और 365.97 करोड़ रुपये के आवधिक ऋण बांटे गए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि में बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्यों तथा दिल्ली, मिजोरम एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित क्षेत्रों को 2,246.96 लाख रुपये और 44,700 मीट्रिक टन अनाज बंटित किया गया है। इसके साथ ही चालू वर्ष में अर्थात् 1983–84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 13,073.33 लाख रुपये और 2,25,183 मीट्रिक टन अनाज बंटित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन मजदूरों को रियायती दरों पर (अर्थात् 1.50 रुपये प्रति किलो गेहूं, 1.85

रुपये प्रति किलो साधारण चावल, 1.95 रुपये और 2.10 रुपये प्रति किलो क्रमशः फाईन और सुपरफाईन किस्म का चावल) अनाज वितरित करने हेतु लिए गए निर्णय के क्रम में सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे इस निर्णय को तत्काल लागू करें। रियायती दरों पर अनाज के वितरण की प्रणालियों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले राज्य सचिवों की बैठक 25 जनवरी, 1984 को हुई थी।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति की एक बैठक 24 जनवरी, 1984 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं पर विचार करने के लिए हुई थी। केन्द्रीय समिति ने 24 परियोजनाएं मंजूर कीं। परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित व्यय 15,782.72 लाख रुपये मंजूर किया गया।

इससे पहले समिति ने ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण की परियोजनाएं मंजूर की थी, बशर्ते कि महानिदेशक (सड़क), नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली उनका अनुमोदन कर दे। समिति ने अब यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार का तकनीकी विभाग पर्याप्त रूप से तकनीकी अनुमोदन करे। यह निर्णय सभी संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 25.00 लाख रुपये बंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने समीक्षाधीन अवधि में 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/संचालित किए अर्थात् भूमि रिकार्डों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सामान्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 3 संगोष्ठियां, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए ग्रामीण विकास के दो पाठ्यक्रम तथा जनता के प्रतिनिधियों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण विकास के मानिटरिंग के लिए सांख्यिकीय पद्धति पर दो पाठ्यक्रम। इन कार्यक्रमों में 176 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसके अलावा, "मैनेजमेंट आफ बिहेवियरल डाइमेंशन्स फार रूरल डेवलपमेंट" पर गोहाटी में क्षेत्रीय केन्द्र में एक केन्द्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 17 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

ट्राइसेम के अधीन वर्तमान मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करना

समीक्षाधीन अवधि में वर्तमान प्रशिक्षण के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 4,00,850 रुपये बंटित किए गए हैं। इसके साथ ही इस योजना के अधीन 50.02 लाख रुपये बंटित किए गए हैं।

कृषि विपणन

विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने "हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान" के सहयोग से 2 से लेकर 5 फरवरी, 1984 तक जयपुर में कृषि उपज बाजारों के नियंत्रण तथा प्रबन्ध पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकारों को बाजारों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में 8.125 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वर्ष 1983–84 के दौरान अब तक 158.455 लाख रुपये की धनराशि बंटित की जा चुकी है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकारों को ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु केन्द्रीय उपदान के रूप में 16.9739 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वर्ष 1983–84 के दौरान अब तक 143.6270 लाख रुपये की धनराशि बंटित की जा चुकी है।

जन सहयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वर्ष अर्थात् 1983–84 में इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध आबंटन में से 4,42,548 रुपये की धनराशि स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य सरकारों को बंटित की गई है। चालू वर्ष अर्थात् 1983–84 के दौरान अब तक 10.94 लाख रुपये की धनराशि बंटित की जा चुकी है।

भूमि सुधार

इस मंत्रालय द्वारा भूमि अभिलेखों की पद्धति तथा भूमि संबंधी सूचना के बारे में एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन 6 से 8 फरवरी, 1984 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में किया गया था। इस गोष्ठी का प्रयोजन देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों की वर्तमान स्थिति, अधिकार अभिलेखों तथा भूमि से संबंधित अन्य सूचना के संकलन की पद्धति तथा उनके रखरखाव और अभिलेखों को आवधिक अद्यतन बनाने से संबंधित सूचना का अध्ययन करना था। इस गोष्ठी में राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से 36 अधिकारियों ने भाग लिया था। गोष्ठी में राज्य सरकारों से उनके भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए अनुरोध किया गया था। आगे यह भी सुझाव दिया गया था कि सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किए जाएं तथा उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए तथा प्रविष्टियों से संबंधित कार्य नियमित आधार पर किए जाएं और जहां भी आवश्यक हो, प्रशासनिक मशीनरी को सुदृढ़ बनाया जाए।

राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लागू किए गए अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन की नवीनतम पुन-

रीक्षा से यह पता चलता है कि वर्ष 1972 से अब तक 43.58 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की जा चुकी है । इसमें से 30.50 लाख एकड़ भूमि कब्जे में ली गई है, इसमें से 20.59 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों के 15.39 लाख परिवारों को वितरित की गई । कुल वितरित क्षेत्र में 51.9 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दी गई है जो कुल लाभभोगी परिवारों का 54.5 प्रतिशत बनता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

एक भारतीय शिष्टमंडल जिसमें इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री जे० सी० जेटली तथा विदेश मंत्रालय के अवर सचिव श्री एम० रघुपति शामिल थे, को 16 व 17 जनवरी, 1984 को दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत कोलम्बो में ग्रामीण विकास पर तकनीकी समिति की बैठक में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था ।

इस मंत्रालय में सहायक आयुक्त (डी० पी० ए० पी०) को जयदेवपुर (बंगलादेश) तथा अहमदाबाद (भारत) में 21 जनवरी से लेकर 4 फरवरी, 1984 तक आयोजित भूमि उपयोग आयोजना पर राष्ट्रमंडल प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था ।

विविध

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लक्षित व्यक्तियों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने की नीति तैयार करने, साथ ही किए जा रहे सूचना प्रसार-प्रयासों को सुधारने तथा तेज करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के 5 प्रचार–प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं । बैठक में महानिदेशक (आकाशवाणी), निदेशक (क्षेत्र प्रचार), निदेशक (डी० ए० वी० पी०), निदेशक (आई० आई० एम० सी०) तथा निदेशक, दिल्ली दुरदर्शन ने भाग लिया था ।

मंत्रालय ने 1 से 14 मार्च, 1984 तक वियतनाम, हनोई में होने वाली भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने का निर्णय भी लिया ।□

थ्रेशर को चलाते समय कुछ सावधानियां

अक्षय कुमार जैन

दिन-प्रतिदिन कृषि यंत्रों का महत्व व संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है । थ्रेशर सबसे अधिक उपयोगी व लोकप्रिय सिद्ध हुआ है । इनकी संख्या पिछले 25 वर्षों में दुगनी हो गई है व आशा की जाती है कि आने वाले समय में इसका प्रचलन और अधिक बढ़ेगा ।

थ्रेशर से किसान भाई बहुत कम समय में अपना अनाज तैयार कर लेता है । थ्रेशर चलाते समय यदि तनिक भी असावधानी बरती जाए तो दुर्घटना होते देर नहीं लगती है । कहा भी जाता है कि 'सावधानी हटी दुर्घटना घटी' । आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है कि अमुक गांव में थ्रेशर से यह घटना घटी । अनुमानतः देश में प्रति वर्ष 1,000 थ्रेशर दुर्घटनाएं होती हैं । यदि हम कुछ बुनियादी सुरक्षात्मक अहतियात बरतें तो उन्हें टाला जा सकता है ।

—थ्रेशर में लगे सुरक्षा गार्ड स न हटाएं ।

—ढीले कपडे, हाथों में कड़े चूड़ियां, अंगूठी, ढीली चेन वाली कलाई घड़ी पहन कर थ्रेशर पर काम न करें ।

—नशे की हालत में थ्रेशर पर काम न करें, न ही थ्रेशर पर काम करते समय धूम्रपान करें और न ही थ्रेशर के पास आग जलाएं ।

—बीमारी अथवा थकावट की स्थिति में थ्रेशर पर काम नहीं करें । थ्रेशर पर काम करते समय बातचीत भी न ही करें ।

—थ्रेशर चलाते समय पट्टे को न तो छुएं, न लांघ कर इधर-उधर जाएं । चालू थ्रेशर में उसकी मरम्मत नहीं करें ।

—बच्चों को थ्रेशर से दूर रक्खें ।

—फसल डालते समय फसल या बाल हाथ से न धकेलें । रात में थ्रेशर पर काम करते समय प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें ।

—फसल डालने के लिए फसलों के गट्ठर या बैलगाड़ी ऐसे स्थान पर खड़ी न करें जहां से गिरने का अंदेशा हो ।

—थ्रेशर से 8-10 घंटे कार्य लेने के बाद उसे आराम दें, सभी नट बोल्टों की देखरेख करें, जिन पुर्जों को तेल व ग्रीस की आवश्यकता हो तेल दें । थ्रेशर को 50-60 घंटे चलने के बाद मुख्य बेयरिंग में ग्रीस अवश्य दें ।

—थ्रेशर के घूमने वाले सभी पुर्जे ढके हुए होने चाहिए ।

—फसल को अच्छी तरह सुखा कर ही थ्रेशर में डालना चाहिए, अन्यथा फसल थ्रेशर में फंसने का अंदेशा रहता है ।

—योग्य व्यक्तियों को ही थ्रेशर पर काम करने देना चाहिए । इसे अन्जान मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए ।

यदि उपर्युक्त सुरक्षात्मक सावधानियां बरती जाएं तो थ्रेशर दुर्घटनाओं को बहुत कुछ सीमा तक रोका जा सकता है ।□

44, बन्दा रोड़,
भवानी मंडी
राजस्थान-326502

ग्रामीण विकास कार्यक्रम सही दिशा में अग्रसर

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिनाथ मिश्र ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि कुछ राज्यों में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों तथा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकनों से यह पता चलता है कि कुछ सीमाओं के बावजूद समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सही दिशा में चल रहा है। तथापि उन्होंने यह स्वीकार किया कि पिछले अनुभवों को देखते हुए सातवीं योजना में कुछ नवीन संशोधन करने होंगे।

श्री मिश्र ने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कमोबेश कुछ राज्यों में इस योजना ने गति पकड़ ली है और यह धीरे-धीरे अपने पैर जमा रही है। हर साल ऋण जुटाने के काम में बढ़ोतरी हो रही है। यह राशि 1980-81 में दो अरब 89 करोड़ रुपये से बढ़कर 1981-82 में चार अरब 67 करोड़ 59 लाख रुपये तथा 1982-83 में बढ़कर सात अरब 13 करोड़ 98 लाख रुपये हो गई। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि योजना की शेष अवधि में बकाया 15 अरब रुपये भी जुटा लिए जाएंगे। प्रति व्यक्ति निवेश राशि भी 1980-81 में 1,642 से बढ़कर 1981-82 में 2,698 रुपये हो गई और 1982-83 में 3,107 रुपये। इससे पता चलता है कि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सही दिशा में हो रहा है।

मंत्री महोदय ने सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बहुत कम भाग लेने पर चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि ऋण जुटाने में सहकारी बैंकों की भागीदारी 26-28 प्रतिशत ही है। कृषि मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसके कारणों का पता लगाएंगे। उन्होंने अनुभव किया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे की कुछ कमियों के कारण इस कार्यक्रम को लागू करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने समिति को बताया कि पहले इस विषय पर क्षेत्र के राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों के साथ हुई बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था।

श्री मिश्र ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वसूली के मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई तथा अनुभव किया कि बैंकों एवं सरकारी कर्मचारियों को इस दिशा में संयुक्त प्रयास करने चाहिए। उन्होंने आशा प्रकट की कि जन प्रतिनिधि होने के नाते सलाहकार समिति के सदस्य क्षेत्रीय स्तर के इस अनुभव के आधार पर अपने व्यावहारिक सुझाव देंगे।

समिति के कुछ सदस्यों ने कहा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अच्छी तरह से समझ-बूझकर बनाया गया है। सदस्यों ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाओं को क्रियान्वित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण निर्धनों को और अधिक कर्ज देने के लिए सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सदस्यों ने योजना के क्रियान्वयन में लगे सरकारी एवं बैंक कर्मचारियों द्वारा आर्थिक सहायता देते समय भ्रष्ट तरीके अपनाने की शिकायत की। उन्होंने सरकार से ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। ग्रामीण विकास सचिव श्री महेन्द्र सिंह ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जहां भी बुनियादी ढांचा उचित है, योजना सफल हुई है। कुछ सदस्यों ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में योजना के क्रियान्वयन में आई कमियों की चर्चा की और इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और कमजोर बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं चलाने की मांग की।

मंत्री महोदय के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे : सर्वश्री दिगम्बर सिंह, आर०एन० यादव, चतुर्भुज, एस० सिंगार वादीवेल, ए० सेनपति गाउंडर, गिरिराज सिंह, गयूर अली खान, चौधरी सुल्तान सिंह, राम सिंह पी० रथवा तथा एन०जी० टोम्पेक सिंह। □

बदलते परिवेश में बिहार के हरिजन

कितने शिक्षित कितने विकसित

डा० एस० नारायण एवं विनोद कुमार

भारतीय समाज एवं संस्कृति की अपनी विशेषताएं हैं । यहां, विभिन्न समुदायों, सम्प्रदायों एवं विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं एवं उन सब की संस्कृति भी अलग-अलग है । इसलिए कहा जाता है कि विविधताओं के बीच भी यहां एकता है । हर समाज में कुछ शोषक एवं कुछ शोषित वर्ग के लोग रहते हैं । शोषित वर्ग के लोग दलित भी कहे जाते हैं । इन दलित वर्गों में हरिजन या अनुसूचित जाति के लोगों का प्रमुख स्थान है । हमारे देश के प्रायः सभी राज्यों एवं केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में ये पाये जाते हैं । 1971 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का 14 प्रतिशत भाग से भी अधिक है । यूं तो इनकी समस्याएं अनेक हैं लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो प्रमुख हैं और उनके निराकरण यथा-अपेक्षित हैं । उदाहरण के लिए शिक्षा का अभाव, ऋणग्रस्तता, उन पर हो रहे अत्याचार, शोषण और अलगाव इत्यादि हैं ।

प्रस्तुत लेख बिहार के हरिजनों, के बच्चों (6–14 वर्ष समूह) के प्रारम्भिक शिक्षा के विभिन्न वर्गों में नामांकन की स्थिति, एवं प्रारम्भ में ही स्कूल छोड़ने जैसे पहलुओं पर किए गए शोध कार्य के आधार पर आधारित है । इनकी चर्चा करने के पूर्व बिहार में हरिजन एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा की हल्की झलक जानना आवश्यक प्रतीत होता है ।

बिहार में हरिजन : सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की सम्पूर्ण आबादी का 14.1 प्रतिशत भाग हरिजनों का है । बिहार राज्य के हरिजनों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर के हरिजनों की संख्या (14.6 प्रतिशत) के आसपास है ।

बिहार में 23 अनुसूचित जातियां हैं । ये हरिजनों के नाम से लोकप्रिय चमार, दुसाध और मुसहर ये तीन जातियां राज्य के हरिजनों की संख्या का 71 प्रतिशत भाग है । अनुसूचित जातियों में सामान्य जनसंख्या के अपेक्षाकृत वृद्धि दर अधिक है । सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित जातियों में साक्षरता 6.53 प्रतिशत थी । पुरुषों में साक्षरता 11.92 और स्त्रियों में ये 1.03 थी। अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत भी साक्षरता के मामले में अन्तर पाए जाते हैं । राष्ट्रीय स्तर पर हरिजनों में साक्षरता स्तर बिहार के हरिजनों के साक्षरता स्तर से काफी ऊंचा है । राष्ट्रीय स्तर पर 14.67 प्रतिशत साक्षरता इनके बीच पाई गई है जबकि हमारे राज्य में ये मात्र 6.53 प्रतिशत ही पाई गई । अतः स्पष्ट है कि राज्य के हरिजनों के बीच निरक्षरता अधिक है । अब ये प्रश्न यहां उठता है कि यद्यपि गत 30 वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में काफी प्रगति बतलाई जाती है, अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई है शिक्षकों की नियुक्तियां भी काफी हुई फिर भी ऐसी स्थिति क्यों है ?

कारण एक नहीं अनेक हैं । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हरिजनों के बच्चों (6–14 वर्षों) का नामांकन कम होता है और स्कूल छोड़ने की दर अधिक होती है । साथ ही, यह देखा गया है कि जब तक प्राथमिक स्तर के प्रथम तीन वर्गों के पढ़ाई को बच्चे पूरा नहीं कर लेते वे पुनः निरक्षरता के वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं । इन्हीं सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के हरिजनों की बहुलता वाले क्षेत्रों में चार प्रखंडों का चयन किया गया । ये हैं—लालगंज, रोसड़ा, शेरघाटी एवं सिकन्दरा जो क्रमशः वैशाली, समस्तीपुर, गया एवं मुंगेर जिलों के अन्तर्गत हैं । ग्रामीण क्षेत्रों को अध्ययन के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि विभिन्न अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी है । हरिजनों के बच्चों के बीच कम नामांकन एवं पूर्व में स्कूल छोड़ने की बहुलता जैसी समस्याओं पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से ही लगभग उसी आर्थिक स्तर के गैर हरिजनों को निर्देशन में लिया गया जिससे तुलनात्मक दृष्टिकोण से हरिजनों के बीच इन समस्याओं पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला जा सके । सभी चयन निर्देशन के विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया गया । अध्ययन के चर्चा करने के पूर्व एक झलक राज्य के हरिजनों के बीच प्रारम्भिक शिक्षा का जानना आवश्यक प्रतीत होता है ।

राज्य के हरिजनों के बीच प्रारम्भिक शिक्षा : चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण (1978) ने कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने लाई हैं । ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इनकी आबादी 85 प्रतिशत से भी अधिक है उनमें केवल 24.09 प्रतिशत ही गांवों में प्राथमिक स्तर तक की ही शिक्षा सुविधा है । इसी प्रकार जहां इनकी आबादी 51–75 प्रतिशत तक है वहां इस तरह की सुविधा 36.35 प्रतिशत तक ही सीमित है । हरिजनों के बच्चों के नामांकन अन्य सभी जातियों के बच्चों की तुलना में वर्ग 1–5 और 6–8 में क्रमशः 10 और 7 प्रतिशत है । जहां तक अनुसूचित जाति के शिक्षकों की संख्या का प्रश्न है वह भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है । बिहार के प्राथमिक स्तर के

शिक्षकों की कुल संख्या का हरिजन शिक्षक मात्र 6.19 प्रतिशत भाग ही है । जहां तक हरिजन वर्ग के प्राथमिक स्तर पर शिक्षिकाओं का प्रश्न है इनके प्रतिशत नगन्य के बराबर कहे जा सकते हैं ।

सन् 1971 के आंकड़े से यह स्पष्ट है कि दो राज्यों को छोड़कर बिहार साक्षरता के मामले में निम्नतम स्थान पर है । अधिकांश राज्यों की तुलना में शिक्षा के पद में भी कम खर्च किए हैं । उदाहरण के लिए, वर्ष 1968–69 में शिक्षा के मद में राज्य का खर्च सम्पूर्ण योजना के खर्च का मात्र 3.9 प्रतिशत था जब कि इसी अवधि में पंजाब और केरल जैसे राज्यों में यह प्रतिशत क्रमशः 13 और 9 थे । वर्ष 1977–78 में प्रति कैपिटा बजट में शिक्षा के मद में खर्च मात्र 20 रुपये थे जो इस राज्य को देश में निम्नतम स्थान प्रदान करती है । नामांकन के मामले में भी राष्ट्रीय औसतन से इस राज्य की स्थिति पिछड़ी हुई है । 6–11 वर्ष समूह में राष्ट्रीय औसतन 44 प्रतिशत थे जबकि बिहार में ये करीब 38 प्रतिशत थे । इसी प्रकार 11–14 वर्ष समूह में राष्ट्रीय औसतन 26 प्रतिशत से भी अधिक थे जबकि बिहार में ये औसतन 19 प्रतिशत से अधिक थी । बिहार में वर्ग 1–5 तक में लड़कियों के नामांकन में दो सर्वेक्षणों के अन्तराल में (1973 से लेकर 1978) 2 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है और लगभग ऐसी ही स्थिति इनके बीच वर्ग 6–8 में पाई गई है । साक्षरता के दृष्टिकोण से भी दो जनगणनाओं के बीच राज्य (अर्थात 1971 एवं 1981) में 6 प्रतिशत से भी अधिक की प्रगति पाई गई है । लेकिन जब ये तुलना राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से की जाती है तो ह्रास की स्थिति प्राप्त होती है । बिहार साक्षरता के मामले में सन् 1971 में देश में 25वां स्थान ग्रहण करता था जबकि 1981 के आंकड़े के अनुसार ये स्थान 27वां हो गया है । स्पष्ट है कि राष्ट्र के प्रगति के अनुरूप इस राज्य की प्रगति नहीं हुई है और कारण भी अनेक बतलाए जाते हैं ।

अब हम अध्ययन के क्रम में पाए गए नामांकन की स्थिति की चर्चा करेंगे । हरिजन एवं गैर–हरिजन के तुलनात्मक अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि हरिजनों की अपेक्षा गैर–हरिजनों में शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान है । अध्ययन के चार प्रखंड़ों में नामांकन की स्थिति मुंगेर के सिकंदरा प्रखंड में सबसे अच्छी पाई गई और इसके विपरीत की स्थिति वैशाली के लालगंज प्रखंड़ में पाई गई । अध्ययन से पता चलता है कि छठी पंचवर्षीय योजना (1982–83) में निर्धारित 90 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है ।

लड़कों में नामांकन की स्थिति लड़कियों के अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है । लड़कियों में नामांकन की स्थिति अच्छी नहीं होने के दो प्रमुख कारण हैं । पहला कारण यह है कि लड़कियां अधिकांशतः घरेलू कार्य में उलझ जाती हैं और दूसरा कारण कृषि कार्य के दौरान अपने माता–पिता को हाथ बटाती हैं । ऐसा देखा गया कि अधिक उम्र के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कम उम्र वाले अभिभावकों की अपेक्षा अधिक तत्परता दिखलाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए कम उम्र वाले अभिभावकों का शिक्षा से अलगाव हो गया है । अधिक उम्र वाले अभिभावक ने अपने जीवन में अधिक उतार-चढ़ाव देखे हैं और अनपढ़ होने के कारण कई क्षेत्रों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है । अतः वे शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल भेजने में भी उनका ध्यान अधिक होता है । अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि हरिजनों के अन्तर्गत भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने अन्य जातियों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति झुकाव अधिक दिखलाती हैं । इनमें प्रमुख हैं – डोम, धोबी, मुसहर आदि । पासी यद्यपि हरिजनों में अधिक विकसित माने जाते हैं, फिर भी उनमें शिक्षा के प्रति उतना झुकाव नहीं पाया गया । बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं जातिगत पेशा द्वारा जीवन यापन की संभावना इसके पीछे कार्यरत है । उपरोक्त अन्य जातियों गैर हरिजनों के सम्पर्क में रहने के साथ ही साथ बदलते हुए सामाजिक परिवेश में औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के प्रभाव के कारण ही शिक्षा के प्रति अधिक सजग जान पड़ती है ।

ग्रामीण परिवेश में जमीन का विशेष महत्व है । जमीन एवं इसकी अधिकता नामांकन के दर को प्रभावित करती है । जमीन की अधिकता जैसे-जैसे बढ़ती गई, नामांकन दर भी ऊंचा उठता ही चला गया । ऐसे अभिभावक जिनके पास 2 या 2 से अधिक एकड़ जमीन है वहां नामांकन शत - प्रतिशत पाया गया । नामांकन की स्थिति भूमिहीन अभिभावकों के बच्चों के बीच अच्छी नहीं पाई गई । ऐसे अभिभावक जो नौकरी, व्यापार एवं कुछ अन्य व्यवसाय में लगे हैं उनके बच्चे स्कूल अधिक आते हैं जबकि और अन्य व्यवसाय में लगे अभिभावकों के बच्चे स्कूल उतना नहीं जाते हैं । आमदनी भी नामांकन प्रभावित करती है । आमदनी बढ़ने के साथ-साथ नामांकन दर में भी वृद्धि पाई गई । हांलाकि कम आमदनी वाले अभिभावक भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कम चिंतित नहीं है । आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के उपरान्त भी हरिजनों के बच्चों में 67 प्रतिशत नामांकन पाए गए ।

हरिजनों के अभिभावकों की शैक्षणिक स्तर भी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है । इतना ही नहीं परिवार के अन्दर एक व्यक्ति भी पढ़ा-लिखा है तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है । इसी कारण माध्यमिक उतीर्ण हरिजन अभिभावक के यहां सभी बच्चे नामांकित पाए गए । चार प्रखंडों में मुंगेर के सिकंदरा प्रखंड को छोड़कर हरिजनों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय सुविधा है । 90 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण जानने का प्रयास किया तो अधिकांश ने आर्थिक कारण को प्रमुख कारण बतलाया, कुछ ने कृषि कार्य में व्यस्तता को बतलाया और कुछ ने कहा कि समय पर शिक्षा सम्बधी सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होतीं और शिक्षा के महत्व को नहीं समझना भी एक प्रमुख कारण है । हरिजनों

के बच्चों के प्रति भेद-भाव की भावना पाई गई जो नामांकन की स्थिति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो ऐसी भी जानकारी मिली की हरिजन बच्चे कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गए तो शिक्षक उनका नाम काट देते हैं और पुनः नामांकन के लिए शिक्षक 5 या 10 रुपये की मांग करते है। अभिभावक के पास अच्छी आमदनी नहीं होने के कारण ये बच्चे यूं ही रह जाते हैं और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इतना ही नहीं गैर हरिजन के बच्चे एक ही स्कूल में हरिजन के बच्चों को बुरी तरह से पिटाई एवं झगड़ा करते हैं और शिक्षक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। परिणाम स्पष्ट है। बच्चे झगड़े एवं पिटाई के भय से स्कूल आना छोड़ देते हैं और इस प्रकार न केवल इसका असर नामांकन पर ही पड़ता है बल्कि पूर्व में स्कूल छोड़ने वालों की दरों में भी वृद्धि होती है।

ऐसे स्कूल जहां एकमात्र शिक्षक हैं उसकी दशा और भी दयनीय है। ऐसे शिक्षकों का स्कूल न आने का अर्थ यह है कि स्कूल की बंदी। इससे भी कम नामांकन एवं पूर्व में स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को बल मिलता है। पेन्सिल, पुस्तक, पुस्तिका, दूध इत्यादि बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती है और ये सुविधाएं केवल कागज के पन्नों तक ही सीमित रह जाती हैं। ऐसे भी शिक्षकों की कमी नहीं जो सप्ताह में एक बार स्कूल जाते हैं और अपनी हाजरी सभी दिनों की बनाकर वेतन लेकर चले जाते हैं। उनका अधिकांश समय अपने ही कृषि कार्यों में व्यतीत होता है और स्कूल में पढ़ाई एवं बच्चों के भविष्य की जरा भी चिंता उन्हें नहीं होती है। ऐसा भी पाया गया कि शिक्षक हरिजन के बच्चों से कभी कुछ मांग करते हैं और उन मांगों के पूरा न होने पर उनकी दुर्दशा कर दी जाती है। अंतोगत्वा नामांकन के ऊपर इसका असर तो होता ही है साथ ही पूर्व में स्कूल छोड़ने जैसी समस्या को बल भी मिलता है। हरिजन के बच्चों को अध्ययन के दौरान जो स्टाइफंड मिलते हैं उसका सही उपयोग से शिक्षक उन्हें वंचित कर देते हैं। हरिजनों के बीच जो पढ़े-लिखे हैं और जिन्हें किन्हीं कारणों से नौकरी नहीं मिली इससे भी नामांकन की स्थिति पर इसका असर पड़ता है।

बाढ़ या सूखे की स्थिति या अन्य प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति भी बहुत से अभिभावकों को रोटी की तलाश में असम और पश्चिम बंगाल पहुंचा दिए हैं जिनके कारण भी नामांकन पर बुरा असर पड़ा है। अध्ययन के आधार पर कम नामांकन के निम्नलिखित कारण प्रमुख पाए गए हैं (प्रश्रयता के क्रम में) (1) गरीबी, (2) घरेलू कार्य, (3) अध्ययन में रुचि का अभाव, (4) शिक्षा लड़कियों के लिए आवश्यक नहीं एवं (5) अन्य।

नामांकन में वृद्धि देखकर यह समझना कि शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है उचित नहीं जान पड़ता है। नामांकन एवं पूर्व में स्कूल छोड़ने की घटना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः अब हम पूर्व में स्कूल छोड़ने की घटना की चर्चा करेंगे। पूर्व में स्कूल छोड़ने की घटना का गहन विमोचन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। जब हम बिहार की स्थिति की समीक्षा करते हैं तो दुखद स्थिति प्राप्त होती है। पूर्व में स्कूल छोड़ने की दरें अधिक ही नहीं बल्कि निरन्तर बढ़ती ही चली जा रही हैं। श्रीवास्तव (1978) ने यह पाया है कि इस तरह की घटना सन् 1958–62 में 68.10 प्रतिशत थी, फिर सन् 1962–68 में बढ़कर 78.20 प्रतिशत, सन् 1973 में 83 प्रतिशत हो गई। वर्तमान अध्ययन के आंकड़े (1982) भी 90 प्रतिशत दर्शाते हैं।

मुंगेर के सिकंदरा प्रखंड जहां नामांकन सबसे अच्छी पाई गई थी वहीं पूर्व में स्कूल छोड़ने वालों में सबसे आगे स्थान रखता है। सूखे की स्थिति एवं भेद-भाव की ऊंची भावना ही इसके प्रमुख कारण हैं। पूर्व में ऐसा पाया गया था कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा नामांकन अच्छी थी लेकिन ऐसा देखा गया कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में पूर्व में स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है। हरिजनों में केवल 9 प्रतिशत लड़के ही अध्ययन जारी रखे हुए हैं। साथ ही यह देखा गया है कि हरिजनों में भी विभिन्न जातियों की तुलना में धोबी, दुसाध एवं मुसहर में पूर्व में स्कूल छोड़ने की दर कम है। पासी और डोम में शत-प्रतिशत स्कूल छोड़ने की घटना पाई गई है। इनके पीछे इनमें पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार का न मिलना और साथ ही उनके जातिगत पेशे से भी उनका जीवन-यापन की भावना भी कार्यरत है। भूमिहीनों के बीच स्कूल छोड़ने की घटना अधिक पाई गई लेकिन ऐसा देखा गया है कि जमीन की अधिकता बढ़ने पर इस प्रकार की घटना में वृद्धि पाई गई। स्पष्ट है अधिक जमीन (खेत) में अधिक लोगों के काम करने की आवश्यकता होती है और इसी कारण समय से पूर्व स्कूल छोड़ने की घटना में वृद्धि होती है। ऐसे हरिजन अभिभावक जो नौकरी में संलग्न हैं उनके बच्चों के बीच इस तरह की घटना कम पाई जाती है। आय में वृद्धि होने से समय से पूर्व स्कूल छोड़ने की घटना में गिरावट पाई गई। इससे यह स्पष्ट होता कि आर्थिक कारण इस घटना के पीछे प्रमुख रूप से कार्यरत है। अभिभावक की शैक्षणिक स्तर भी इनके बच्चों में इस तरह की घटना को प्रोत्साहित करती है। वर्ग के आधार पर इस घटना का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 87 प्रतिशत हरिजन बच्चे वर्ग 1—5 तक पूरा करने के पूर्व ही स्कूल छोड़ देते हैं जबकि वर्ग 6—8 में इस तरह की घटना में अपेक्षाकृत गिरावट पाई जाती है। अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि 60 प्रतिशत से अधिक इस तरह की घटना गरीबी के कारण ही होती है दूसरा प्रमुख कारण घरेलू कार्य में व्यस्तता पाया गया। अधिकांश अभिभावक पढ़ाई का खर्च स्वयं ही वहन करते हैं और सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से उनके बच्चे वंचित रह जाते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बच्चों को समय से पूर्व ही बाध्य होकर स्कूल छोड़ना पड़ता है। कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति उनके आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

गैर हरिजन शिक्षक पढ़ने वाले हरिजन बच्चों को तरह-तरह की तारणा देते हैं।

यहां तक कि हरिजन बच्चों एवं गैर-हरिजन बच्चों के बीच भेदभाव की भावना बरती जाती है और इनके पीछे शिक्षकों का महत्वपूर्ण योग दान होता है । शिक्षक जिस घृणित दृष्टि से उन्हें देखते हैं कि शिक्षा के प्रति थोड़ी भी अभिरुचि उनमें जो जागी हो मिट जाती है। इस तरह के विचार-धारा से पीड़ित होकर हरिजन बच्चे समय से पूर्व ही स्कूल छोड़ देते हैं और हमारे योजना के लक्ष्य का पूरा न होने का यह भी एक प्रमुख कारण रहा है। शिक्षकों की अनु-पस्थिति भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करती है । बिहार के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सबसे अच्छे वेतन पाते हैं फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन पाए जाते हैं। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का लगाव नेताओं एवं दल के कार्यकर्ताओं से होने के कारण वे अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। बच्चे एवं उनके अभिभावक इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं करते क्योंकि शिक्षा के महत्व की महत्ता उतनी नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए एवं उनमें से कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो समझते हैं कि शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान कठिन है। एक शिक्षक वाले स्कूल तो और भी समस्या को गंभीर बनाने में सहायक है। ग्रामीण परिवेश में एक बच्चा आर्थिक रूप से एक सहायक हाथ के रूप में देखा जाता है। अभिभावक स्कूल भेजकर बच्चे के सहायक हाथ एवं कार्य करने की क्षमता को नष्ट होने देना नहीं चाहते हैं । वे इस बात को समझते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली ग्रामीण पर्या-वरण से कोई ताल-मेल नहीं रखता है। सिर्फ साक्षरता और हिसाबी ज्ञान से कोई बड़ा जीवन रूपी लाभ नजर नहीं आता है। इस कारण भी समय से पूर्व स्कूल छोड़ने की दरों में वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं वे ही प्रायः समय से पूर्व स्कूल छोड़ देते हैं।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बदलते हुए परिवेश में आज भी अधिकांश हरिजन अज्ञानता के अंधकार में भटकते नजर आ रहे हैं। अभिभावक क्या बच्चे जिनके हाथों में राष्ट्र का भविष्य है वे भी निरक्षरता के पर्दे के पीछे ठोकरें खा रहे हैं। शिक्षा वह धन है जो अज्ञानता, निरक्षरता के अंधकार को दूर कर न केवल हमारे अधिकार एवं कर्तव्य का प्रकाश जलाता है बल्कि प्रजातांत्रिक प्रतिमानों एवं मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने काफी तीव्रता से जहां प्रगति की है वहां आज भी हमारे समाज में ऊंच-नीच, जातिवाद, शोषण एवं कमजोर वर्गों पर अत्याचार के झंडे लहरा रहे हैं। छुआ-छूत जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए अनेक संवैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई की गई फिर भी यह विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पाई जाती है। एक अध्ययन के अनुसार इस तरह की कुप्रथा सबसे अधिक केरल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई गई है। यहां हरिजन के कपड़े नहीं धोये जाते हैं, नाई हरिजन के बाल, दाढ़ी नहीं बनाते हैं। कुंओं से हरिजन द्वारा जल लेना, होटल में, मंदिरों में प्रवेश अब भी निषेध है । कानून के पन्नों में ये अपराध अवश्य है मगर व्यवहार में सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप की इन्हें संज्ञा दी जाती है।

आज भी हरिजनों में बंधुआ मजदूरों की कमी नहीं। सरकारी आंकड़े दिखलाते है कि अधिकांश बंधुआ मजदूरों को मुक्त कर दिया गया है किन्तु वास्तविकता यह है कि इनकी संख्या इतनी कम नहीं जितनी कम आंकी गई है। राज्य में किए गए हरिजनों पर अध्ययन से पता चलता है कि पेट की भूख की ज्वाला से पीड़ित हो महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल में फंस कर थोड़ी जमीन जो उनकी सम्पत्ति थी अब महाजनों की सम्पत्ति है और इतना ही नहीं कर्ज के सूद इतने हो गए हैं कि आनुवंशिक रूप से न जाने कितने पीढ़ियों तक उनके आने वाले बच्चे इसी बंधुआ मजदूर का शिकार बने रहेंगे। अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकांश ऋण (60 प्रतिशत से अधिक) पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए ही लिए गए और इस ऋण के आधार पर महाजन शोषण करना प्रारम्भ कर देता है और इनके अन्याय की सीमा की निश्चित लकीर खींची नहीं जा सकती।

इतना ही नहीं अगर छोटी सी दुकान कभी किसी ने खोली हो उनके घर जला दिए गए हैं एवं उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया गया है। बिहार के बेलची, पिपरा एवं परसबिधा कांड ने हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों में एक नया अध्याय जोड़ा है। बिहार के भोजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि दो दशक पूर्व उनकी महिलाएं चांदी के चमचमाते जेवरों से आच्छादित थीं और अब ये जेवर तो सेठ-साहूकारों के यहां गए ही हैं तथा बहु-बेटियां उनके यहां नौकरानी बन गई हैं। परिवर्तन इतना बड़ा आज के बदलते हुए सामाजिक परिवेश में आया जहां हमारे समाज में औद्योगी-करण एवं तकनीकी विकास तीव्र गति से हो रहे हैं और हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं वहीं हरिजन जैसे कमजोर वर्गों की दशा गरीबी रेखा से उठने की अपेक्षा गिरती चली जा रही है, बंधुआ मजदूर बढ़ते चले जा रहे हैं, छुआ-छूत की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है।

वास्तविक स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। आज आवश्यकता कागजी आंकड़े दिखाकर दावे करने की नहीं बल्कि व्यावहारिकता को स्वीकार कर उसे दूर करने के सक्षम उपाय में सच्चे दिल से एक जुट होकर काम करने की है। सामाजिक प्रगति का स्वप्न तभी देखा जा सकता है जब प्रत्येक वर्ग चाहे वो किसी भी भाषा समुदाय, सम्प्रदाय, जाति का हो उसका समुचित विकास हो। सामाजिक कुरीतियों के बीज एवं अंकुर को जनमत द्वारा उखाड़ फेंकना होगा। शिक्षा का समुचित प्रचार एवं प्रसार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आवश्यकता मात्र योजना बनाने की नहीं बल्कि उनका सही ढंग से कार्यान्वयन की है । शहरीकरण एवं औद्योगीकरण भी हमारे समाज की कुरीतियों को दूर करने एवं कमजोर करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। गांधी जी ने जिस रामराज्य का सपना देखा था और अनुसूचित जातियों को हरिजन कहकर उन के बीच जो विश्वास जगाए थे उन्हें तभी साकार किया जा सकता है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी प्रगति आवश्यक है और तभी सच्ची प्रगति संभव है।

हर आँख में चमक है
हर हाथ में कुदाल

श्याम कुमार दास

मानव जीवन का आधार खाद्यान्न है। देश की खुशहाली का प्रतीक खाद्यान्न है और हरित क्रान्ति का द्योतक खाद्यान्न है। वास्तव में यदि किसी देश में खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है, तो अत्यन्त कठिनाई हो जाती है। तब देश की जनता को जीवन की जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं—रोटी, कपड़ा और मकान में से मुख्य वस्तु रोटी नहीं मिल सकती है। मनुष्य एक बार को कपड़ा और मकान के बिना जीवित रह सकता है लेकिन रोटी बिना जीवित रहना असम्भव है। वैसे देखा जाए तो रोटी से ही कपड़ा और मकान की उपलब्धि होती है। रोटी से ही मानव तन को इतनी शक्ति और स्फूर्ति मिलती है कि वह परिश्रम और प्रयास करके इन दो चीजों को प्राप्त कर सकता है।

रोटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमारी खेतों में अधिकाधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो। हर खेत लहलहा उठे। गेहूं की बालियां और चने की फलियां हवा के साथ अठखलियां करें। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है— खेतों को भरपूर सिंचन सुविधा प्राप्त हो। और सिंचाई के लिए पानी।

जब तक पानी की उचित व्यवस्था नहीं होगी खेतों की सिंचाई होनी कठिन है। यह सिंचाई नहर, कूप, ट्यूब वैल या बरसात के माध्यम से की जाती है। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पठार होने के कारण नहर, कूप या ट्यूब वैल स्थापित करना बहुत कठिन है। जहां भूगर्भीय जल की कमी है ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है बुन्देलखण्ड का "झांसी जनपद"।

झांसी जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है। आज भी झांसी का नाम सामने आते ही 'खूब लड़ी मर्दानी वह जो झांसी वाली रानी थी' की आवाज मस्तिष्क में गूंजने लगती है। जहां रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतन्त्रता संग्राम में अपूर्व वीरता दिखाकर झांसी को ऐतिहासिक रूप प्रदान किया, उसी झांसी में हमारे देश की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री श्रीपति मिश्र की प्रेरणा से सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि हेतु बन्धी और चैकडेमों का तूफानी गति से निर्माण हो रहा है और सिंचाई के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने जा रहा है।

इस क्षेत्र में बंधी चैकडेमों का निर्माण कोई बिल्कुल नया नहीं है। चन्देलों के समय से ही सिंचाई हेतु यहां समय-समय पर बंधी और चैकडेमों का निर्माण होता आया है। लेकिन इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कृषक सिंचाई हेतु पानी के अभाव में परेशान रहे। किसानों की परेशानी देख जिला प्रशासन ने गत दो वर्षों से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। वर्ष 1982-83 में जनपद में चैकडेमों और बन्धियों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपये की योजना बनाकर शासन को भेजी गई थी। लेकिन किसी कारणवश स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

इस वर्ष मण्डलायुक्त श्री जितेन्द्रनाथ रंजन के विशेष प्रयास और प्रेरणा से "कोर" प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसमें हैण्डलूम (हथकरघा) और चैकडेमों तथा बन्धी निर्माण कार्य की एक रूप रेखा बनाई गई। इस रूपरेखा को मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया निवर्तमान जनपदाधीश श्री विजय शर्मा तथा अपर जिलाधिकारी श्री के०के० गुप्त ने।

चैकडेम और बन्धी निर्माण की 30 योजनाएं बनाई गईं। इन पर इतनी तत्परता से कार्य प्रारम्भ हुआ कि दस दिन पहले जिस चैकडेम की नींव खुद रही थी दस दिन बाद वहां डेम बनकर तैयार हो गया। वर्षा शुरू होने से पहले ही इन्हें पूर्ण करने का निर्णय लिया गया था। 1983 के अन्त तक 30 प्रतिशत चैकडेम पूरे हो गए। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना

में भी अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र रेबन (विकास खण्ड मऊरानीपुर) में लखेरी नदी पर 6–10 लाख रुपये लागत की एक विशाल चैकडेम की योजना बनाकर निर्माण कार्य आरम्भ किया गया ।

इन चैकडेमों/बन्धी के निर्माण में लगभग 30 लाख रुपये व्यय होंगे और सभी बन्धी/ चेकडेमों से पूर्ण हो जाने पर एक बड़े भू भाग पर जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं था, वहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी । लाभान्वित कृषक परिवारों में से 50 प्रतिशत से भी अधिक अनुसूचित जाति के होंगे । इन चैकडेम और बन्धियों के निर्माण हेतु विशेष कर ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां इनके निर्माण से अधिकांश संख्या में हरिजन, सीमान्त और लघु कृषकों को फायदा मिलेगा ।

ये सभी चैकडेम अपनी–अपनी जगह पर महत्व रखते हैं । इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहने को चैकडेम हैं लेकिन इनके निर्माण में रत सैकड़ों मजदूरों, को जिनमें से कोई इधर से उधर गिट्टियां ले जाता हुआ, कोई गारा ले जाता हुआ, कोई पत्थर उठाता हुआ और किसी स्थान पर पानी निकालते हुए पम्प और मसाला बनाते हुए मशीनों को देखकर किसी छोटे-मोटे बांध के निर्माण का आभास होता है। ऐसे ही कुछ चैकडेम हैं रेबन चैकडेम इसका निर्माण रेबन गांव में लखेरी नदी पर किया गया है । इसकी लागत 6 लाख 10 हजार रुपये है । इससे लगभग 5–6 वर्ग मील क्षेत्र में जल समेटे रहेगा तथा 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और 250 कृषक लाभ उठाएंगे, इनमें 200 कृषक अनुसूचित जाति के हैं इसमें 80 मीट्रिक टन लोहे का भी प्रयोग किया जाएगा । यह पूरे बुन्देलखण्ड में सबसे बड़ा चैकडेम है । कगर कछनेव बन्धी – इसका निर्माण भी कछनेव गांव से बहने वाले लखेरी नदी पर किया गया है । इसमें 70 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और 30 हैक्टेयर क्षेत्र पानी में भरा रहेगा । इसकी लम्बाई 900 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 30 फीट है । इससे 100 कृषकों को लाभ मिलेगा । इसकी एक और विशेषता है कि यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को आपस में मिलाता है और एक साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है ।

इन चैकडेमों और बन्धियों के निर्माण से आज कृषकों के चेहरों पर खुशी छा गई क्योंकि कुछ समय पूर्व सिंचाई करना उनके लिए एक समस्या थी अब उसका निराकरण हो गया है । गांव के किसान इन्हें दूर से निहार कर खुश होते हैं । वे इनकी रख-रखाव करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं ।

अम्बावाय गांव के राधेलाल से जब मैंने पूछा आपके गांव में जो चैकडेम बना है इससे आपको लाभ होगा ? वह बोला— "साब अबै तक हमें बरसात के पानी या कुआं से सिंचाई करत हते । गरमी में भी कुअन को पानी सूख जात हतो तब तो बड़ी मुश्किल से काम हो पाऊतो । अब तो बारहों मईना सिंचाई करी जा सके । हमारे खेतन में अब गेहूं की उपज ज्यादा होन लगें " । उसकी आंख में चमक थी । राधेलाल के पास 10 एकड़ खेत है और वह खरीफ तथा रबी दोनों फसलें करता है ।

भिटौरा के धर्मलाल यादव ने भी अपने गांव में बने चैकडेम को देखकर ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा– "साब अब तो अपना खेत हरो भरो दिखान लगे" कुछ लोगों ने इनके निर्माण को 'जीवन दान' कहा तो कुछ ने एक उपलब्धि बताया ।

वास्तव में इन चैकडेमों और बन्धियों के निर्माण से झांसी जनपद में सिंचाई क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है । अब तो "हर आंख में चमक है हर हाथ कुदाल, खेतों में लहलहाते हैं गेहूं, जौ की बाल" । □

जिला सूचना अधिकारी,
झांसी (उ० प्र०)

सम्पादकीय [आवरण पृष्ठ का शेषांश]

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्र शत-प्रतिशत सहायता देगा । सहायता देने की व्यवस्था वही होगी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित है । अर्थात्, खेतिहर मजदूरों और सीमांत किसानों के लिए 75 प्रतिशत तथा अन्य गरीबों और साधनहीनों के लिए 25 प्रतिशत । शहरी नवयुवक बेरोजगारों के लिए इतने साधन जुटाने की व्यवस्था है कि हर साल लगभग दो से ढाई लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ।

सरकार सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है । लेकिन उसके पास देश के उत्पादक साधनों का केवल अल्पांश ही है । वृहतांश संसाधन जो निजी प्रबंध और स्वामित्व के अधीन हैं, क्या वे भी इसी प्रकार जन-जन की सेवार्थ सरकार जैसी भावना से लगे हैं ? कहा जा सकता है कि उस प्रकार नहीं जिस प्रकार सरकारी सम्पत्ति या उसके स्वामित्व के अधीन संसाधन लगे हैं, या कहिए, इस प्रकार नहीं जिस प्रकार न्यास रूप में महात्मा गांधी चाहते थे या यूं भी कहा जा सकना है कि उस तरह नहीं जैसे समाजवादी जवाहरलाल नेहरू चाहते थे । क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो कोई बेरोजगार क्यों मिलेगा और किसी का भी जीवन स्तर देश में गरीबी की रेखा से नीचे क्यों होगा ? बल्कि अगर कहा जाए कि हर व्यक्ति क्यों न खुशहाल होगा तो कहीं उचित होगा ।

खुशहाली की हालत में, निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी । लोग पैसा खर्चने की स्थिति में होंगे । उद्योग और बढ़ेंगे । लोगों के जीवनस्तरों में असमानता घटने पर मेल-जोल और राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी । जीवन स्तर में सुधार से जनसंख्या नियंत्रण में भी सफलता जल्दी मिलेगी । □

जल प्रदूषण से उत्पन्न पेयजल समस्या का निराकरण

डा० ब्रजभूषण सिंह आदर्श

बस्तर जिलान्तर्गत बैलाडीला पर्वत श्रेणियां अपने उत्कृष्ट लोह अयस्क के लिए विश्व विख्यात हैं। इन पर्वत श्रेणियों की लम्बाई करीब 40 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर और अधिकतम ऊंचाई 1276 मीटर है। यहां के लोह अयस्क निक्षेपों का अनुमान 1200 मिलियन टन से अधिक है। लौह अयस्क के इन भण्डारों की खोज सन् 1899 में श्री पी० एस० बोस ने की थी। बैलाडीला का शाब्दिक अर्थ है बैल के पीठ का डीला।

बैलाडीला में वर्तमान में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निक्षेप क्रमांक 14 और निक्षेप क्रमांक 5 में लोह अयस्क का खनन किया जा रहा है। इन खदानों का क्रमशः विस्तार किया जा रहा है और इसके साथ ही निक्षेप क्रमांक 14 के निकट निक्षेप क्रमांक 11/सी भी निर्माणाधीन है।

मशीनीकृत खदान में लौह अयस्क को निर्यात के पूर्व धोया जाता है जिससे लौह अयस्क से स्लाइम अलग हो जाता है जो एक तरह का औद्योगिक कचरा है। इस स्लाइम को प्राकृतिक नाले में छोड़ने के पहले धोये गये जल से अलग करना जरूरी होता है।

स्क्रीनिंग प्लांट से बाहर आने वाले स्लाइम मिश्रित जल को अलग करने के लिए प्रत्येक परियोजना में टेलिंग डेम का निर्माण करना आवश्यक होता है। बैलाडीला निक्षेप क्रमांक 5 में ऐसे ही एक टेलिंग डेम का निर्माण 44.44 लाख रुपये से किया गया है और अब 34.77 लाख रुपये व्यय से इसका विस्तार किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्य खनिकर्म आदिवासी श्रमिक सहकारी समिति के माध्यम से किया जा रहा है जिससे आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

निक्षेप क्रमांक 14 के लिए टेलिंग डेम का निर्माण न होने के कारण संकनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। नदी का जल रक्त वर्णी हो गया है और पीने के लायक नहीं है। इस क्षेत्र में पेय जल की समस्या अत्यन्त जटिल हो गई है और एन० एम० डी० सी० द्वारा इसके समाधान का प्रयास पेयजल कूपों का निर्माण करके किया जा रहा है।

हाल ही में एन० एम० डी० सी० के अध्यक्ष श्री सी० एस० वेनुगोपाल राव ने रजत जयंती वर्ष में निर्मित ऐसे 20 कूपों का का उद्घाटन कर उन्हें ग्राम वासियों को समर्पित किया है।

मिष्ठभाषी सरल प्रकृति वाले श्री राव ने चर्चा के दौरान बताया कि निक्षेप क्रमांक 14 के टेलिंग डेम के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थान कदमपाल है। केन्द्रीय जल शक्ति आयोग, अधीक्षण अभियंता (सिंचाई), महानदी बेसिन रायपुर के विशेषज्ञ के अनुसार जो योजना प्रस्तावित है उसके लिए 357 एकड़ भूमि की जरूरत है। इस बांध के डूबान क्षेत्र में कदमपाल का आवासीय क्षेत्र भी आता है। और परम्परागत कारणों से ग्रामवासी इस क्षेत्र को खाली कर अन्य स्थान पर आवासित नहीं होना चाहते। यही कारण है कि भूमि का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण बांध का काम रुका पड़ा है। यों बांध के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यदि जमीन हस्तांतरित कर दी जाए तो बांध का निर्माण डेढ़ वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इसका क्या हल हो सकता है? मैं प्रश्न करता हूं।

श्री राव कहते हैं—हम ग्रामवासियों को जो कदमपाल से अन्यत्र बसाए जाएंगे हर संभव सहायता देने के लिए कृत संल्कप हैं। उन्हें जहां जमीन दी जाएगी उसका विकास करेंगे। आवास निर्माण के लिए भी सहायता दी जाएगी और पेयजल व्यवस्था भी की जाएगी।

किंतु इन लोगों को स्थानीय नेता और जिला प्रशासन ही समझा कर आश्वस्त कर सकते हैं। जल प्रदूषण रोकना एक महती आवश्यकता है। एक सामाजिक दायित्व है और पारस्परिक सद्भावना से इसे करना होगा। टेलिंग डैम निर्माण की समस्या हल होने तक नेशनल मिनरल—डवलपमेंट कारपोरेशन ने पेयजल पूर्ति की क्या योजना बनाई है?—एक पत्रकार प्रश्न करते हैं।

महा प्रबन्धक बैलाडीला विस्तार, श्री बी० मुखर्जी बताते हैं—राज्य शासन ने जिन 53 प्रभावित ग्रामों की सूचना दी है वहां पेय जल कूपों का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिन 20 ग्रामों में कूपों का निर्माण किया गया है वे हैं—कुम्हारहास कतियाररास करन्जेनार, डेगलरास, कुन्देली, गामावाड़ा, कुहचेपाल, दूगेली, किरन्दुल, कदमपाल, पातररास, पुरनतराई, दंतेवाड़ा, छोटेतुमनार, भोगम, बिजाम, सियानार, समलूर, सुरौखी और चितालंका। इन कूपों की कुल लागत 5.5 लाख रुपये है।

[शेष पृष्ठ 20 पर]

विकास प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन जरूरी हैं

एम० सुब्रह्मणियम

ग्रामीण भारत का स्वरूप निश्चित रूप से बदल रहा है। हालांकि ग्रामीण भारत का हृदय, ज्यों का त्यों ही है। गत छत्तीस वर्षों में जीवन स्तर में सुधार हुआ, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उत्पादकता व रोजगार बढ़ाने में काफी प्रगति हुई है। अब अधिकांश गांव सड़कों से जुड़े हैं। पीने के पानी की व्यवस्था को अधिकतम प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष स्थान दिया गया है। यह कार्यक्रम देश के प्राय: सभी गांवों में चालू है। बदलते हुए परिवेश ने गांवों को भी प्रभावित किया है। कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति हुई। जिसके कारण हम अन्न उत्पादन में आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं।

अत: ग्रामीण भारत का अपने नए स्वरूप पर गर्व करना न्यायसंगत है परन्तु प्रगति का पथ बिना कठिनाइयों के नहीं होता। अभी तक ग्रामीण भारत का प्रत्येक परिवार कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हुआ है। अभी भी गांवों में अधिक संख्या में निर्धन हैं तथा भूमिहीन मजदूर मौजूद हैं जिनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है जिससे वे निर्धनता की रेखा से ऊपर उठ सकें। सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए गांव वालों को सहायता करना एक बड़ा भारी काम है। सीमित साधनों के बावजूद सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत समुदाय को लाभ एवं सहायता पहुंचा सकी है। फिर भी गांव आजकल जिन उमड़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसके लिए बेहतर और शीघ्र उपलब्ध होने वाली सेवाओं की अपेक्षा है।

यहां भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास में गांव वालों की जिस भागेदारी की बात पर जोर दिया, उसे याद करना प्रासंगिक होगा। विकास केवल सरकारी प्रयत्नों से ही नहीं होता बल्कि गांव वाले पूरी दिलचस्पी लेकर विकास कार्यों में आगे बढ़ कर खुद भाग लें। अत: उन्नीस सौ पचास के आस-पास के वर्षों में ग्रामीण विकास का केन्द्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। 1960 के आस पास समुदाय द्वारा विकास कार्यों में भाग लिए जाने की अवधारणा में बदल गई। हरित क्रान्ति के आगमन के साथ कृषि उत्पादकता पर बल दिया जाने लगा। स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक दिनों में जन-सहयोग के जिस रूप को समर्थन मिला उसे पुन: संचारित करना होगा। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों की ओर जो संपत्तिहीन तथा निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार के अवसर तथा आय के साधनों को उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है। निर्धनता की समस्या का समाधान समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा कुछ हद तक परिलक्षित होता है। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रमों का नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम में समावेश कर लिया गया है। गांवों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिनका ग्रामीण जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक मजदूरों, छोटे किसानों और पिछड़ी जाति के लोगों को ऋण सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि वे व्यवसाय आदि शुरू कर जीविका अर्जन कर सकें। सुरक्षा प्रदान करने वाली यह वित्तीय संस्थाएं अब ग्रामीण भारत में विकास बैंकों के रूप में काम कर रही हैं। स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना ही ग्रामीण रोजगार कार्यों का मुख्य उद्देश्य रहा है जिससे मजदूर अपने क्षेत्र के विकल्प में सहभागी बनें न कि केवल मजदूरी कमाने वाला रहे।

गांधीजी के ग्राम-स्वराज्य की अवधारणा आज भी विकास योजनाओं की आधार शिला है। सिंचाई साधनों का निर्माण, बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाना सामाजिक वानिकी तथा अन्य कार्यक्रम इस तरह नियोजित किए जाएं ताकि पर्यावरण संतुलन को सुरक्षित रखा जाए और स्थनीय साधनों को विकसित कर गांव की ऊर्जा व उपभोग आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। कृषि के नए तकनीकों को छोटे व सीमांत किसान भी अपना रहे हैं जिससे उत्पादकता बढ़ रही है। उचित उत्पादक व लाभकारी श्रमोन्मुख तकनीकों पर आधारित फार्म और गैर-फार्म गतिविधियों के संतुलित विकास पर ही ग्रामीण भारत का जीवन निर्भर है। ग्राम विकास में ग्रामीण जनता के स्वशासन के लिए पंचायती राज पद्धति को अधिक सशक्त बनाना होगा। पंचायती राज संस्थाओं का विकास संवैधानिक आधार पर होना चाहिए, यह सुझाव विचाराधीन है। ग्रामीण विकास में राजनैतिक नेतृत्व की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। उसके गुणों का गांवों के विकास कार्यक्रमों पर असर पड़ता है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत सत्ताधारियों को ज्ञान, अनुभव और लगन होनी चाहिए । ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न रूप से उत्तरदायी गैर-प्रशासनिक कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापना की आवश्यकता है । गांवों में लोगों का विकास कार्यक्रमों में स्वयं भाग न लेने का एक कारण उनकी इन कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी न होना भी है । क्षेत्रीय स्तर पर कार्यगत देरी तथा कई प्रकार के गैर-कानूनी कार्यों व अनाचार की गंजाइश होने के कारण लोग सामुदायिक विकास कार्यों में भाग लेने से कतराते हैं । यदि ग्राम सभाओं को सामुदायिक कार्यों में निर्णय लेने के अधिकार दे दिए जाएं तो लोगों में अपने गांव में हो रहे नवीन कार्यों के प्रति रुचि और जागरूकता दोनों बढ़ेंगी । साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए जिसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न संचार माध्यम ग्रामीण क्रियाकलापों को अधिक स्थान दें ।

कुछ अर्थों में हम लोग चौराहे पर खड़े हैं । हमने लम्बी यात्रा तय करनी है पर अभी भी मीलों चलना है । ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने के लिए हमें गरीबी को कम करना है और लोगों का जीवन स्तर सुधारना है, लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हम आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन सही प्रकार से करें । मेरे विचार में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास प्रशासन में एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है । वह समय आ गया है जब हमें ब्लाक तथा जिला प्रशासन की वर्तमान संरचना को पुनर्गठित करना होगा और उनको नई दिशा देनी होगी । क्योंकि इन पर सामाजिक व आर्थिक सेवाओं के वितरण का भार है । विकास कार्यक्रमों के संचालन का हाल के वर्षों में कोई व्यापक विश्लेषण नहीं हुआ है । ग्रामीण जनता को निर्धनता से उबारने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है लेकिन इतना ही काफी नहीं है । बल्कि सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाएं जिन पर ब्लाक तथा जिला स्तर पर विकास का भार है, उनकी भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है । दूसरा ग्रामीण विकास का प्रबन्ध उतना ही सुदृढ़ और कुशल होना चाहिए जितना कि औद्योगिक क्षेत्र का होता है । ग्रामीण विकास परियोजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सही प्रशासनिक ढांचे तथा प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को अभी तक महसूस नहीं किया गया है । तीसरा इस ओर भी ध्यान देना होगा कि लोगों का सक्रिय सहयोग व भागेदारी इन कार्यक्रमों को किस प्रकार से सुचारू रूप दे सकती है जिससे विकास प्रक्रिया मात्र सरकारी कार्यक्रम न हो कर जन आंदोलन हो सके ।

ग्रामीण भारत का रूप बदल जाए यही पर्याप्त नहीं । यह अत्यावश्यक है कि ग्रामीण नई उन्नत तकनीक के प्रति जागरूक बने और लोग जो हमारे गांवों में बसे हैं उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दिलाने में कारगर हो । इस कार्य के लिए गांवों के प्रतिबद्ध और कुशल युवा वर्ग का स्वच्छिक संस्थाओं तथा सरकार द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे वे अपने खाली समय में रचनात्मक और विकास कार्यों में भाग ले सकें । अन्ततः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत का स्वरूप तभी बदला जा सकता है जब गांवों की जन शक्ति का सार्थक और सदुपयोग हो सके । स्वास्थ्य-सेवा, ग्रामीण औद्योगीकरण, महिलाओं तथा बच्चों का विकास तथा अन्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि भारत के गांवों को तभी आत्म विश्वास व आत्म निर्भरता की ओर ले जा सकेंगे जब गांव वाले रचनात्मक कार्यों के लिए संगठित होने के लिए तत्पर हों । मैं यह आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में हम ऐसा प्रशासनिक रूप से ढांचा बना पाएंगे जिसमें ग्रामीण व्यावसायिक कौशल के दर्शन हों और जिसे समुदाय के ही लोगों की मदद से चला सकें । ग्रामीण भारत का तीव्रता से विकास हो रहा है । विकास कार्यक्रमों का लाभ पूरे समुदाय को विशेषकर निर्धन और पिछड़े वर्ग को इस प्रकार मिलना चाहिए ताकि ग्रामीण समाज के सम्पूर्ण जीवन का स्तर सुधरा हुआ और उन्नत दिखाई दे। विकास की प्रक्रिया का तात्पर्य समुदाय के आधारभूत ढांचे में भौतिक परिवर्तन ही नहीं हैं बल्कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में खुशी और समृद्धि की लहर और प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान लाना भी है जो ग्रामीण भारत के सामाजिक उत्थान का सही मापदण्ड है । □

अनुवादिका
श्रीमती लक्ष्मी मुकुंद
एन-2 ग्रीन पार्क मेन
नई दिल्ली-110016

जल प्रदूषण से उत्पन्न पेयजल समस्या का निराकरण [पृष्ठ 18 का शेषांश]

श्री राव और श्री मुखर्जी पत्रकारों को कुछ ग्रामों में बने इन खुले कूपों को दिखाते हैं । निश्चय ही ये कुएं बड़े और सुविधाजनक हैं । प्रत्येक कुएं का व्यास 3.4 मीटर और गहराई 8 से 10 मीटर है । कुएं के चारों ओर 1.5 मीटर व्यास का एक पक्का प्लेट फार्म है । मवेशियों के लिए एक पक्के हौद (टंकी) का निर्माण भी किया गया है । प्रत्येक कुएं में तीन घिरियों सहित एक लोहे की चेन के साथ बाल्टी का प्रावधान भी किया गया है । प्रत्येक कुएं की लागत करीब 25 हजार रुपये है ।

पत्रकार गण कुम्हाररास, चितालंका, पाताररास, पुरनतराई, भोगम आदि ग्रामों में इन कुओं को देखते हैं और आदिवासियों से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं । कहना न होगा कि पेयजल की इस व्यवस्था से वे संतुष्ट हैं । प्रत्येक कुएं से करीब 20–25 परिवारों को पर्याप्त पानी प्राप्त हो सकेगा । इस प्रकार के 20 और कुएं बनाए जाएंगे । आदिवासी ग्रामवासियों को अपने घर के पास ही शुद्ध जल प्राप्त होने लगा है । □

ग्रामीण विकास सचिवों का सम्मेलन—एक रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आयोजित राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिनाथ मिश्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर जुटाने और गरीबी समाप्त करने के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है । अतः ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी लोगों को सभी स्तरों पर इन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि कमजोर वर्ग के लोगों की आय के स्तर को बढ़ाने के लिए उप-परियोजनाओं को तैयार करने एवं उनके कार्यान्वयन के काम में सहायता मिल सके ।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ कमियों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में योजना से लाभान्वित होने वाले लोग तदर्थ आधार पर चुने गए हैं और कुछ मामलों में योजनाएं जिन लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए चलाई गई थीं, उन्हें उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया और उन्हें प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने एवं इनके स्तर में सुधार लाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाने चाहिएं । उन्होंने इन कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रशासकीय व्यवस्था एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया । मंत्री महोदय ने सचिवों को बताया कि ग्रामीण विकास के लिए राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आवश्यकता पर आधारित योजना तैयार करने में हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कहा गया है। श्री मिश्र ने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार, राज्यों के संस्थानों द्वारा दिए प्रस्तावों पर शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है ।

श्री मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत रखी गयी राशि का उपयोग स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए । इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि को अन्य क्षेत्रों में आवंटित नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ राज्यों में किया गया है ।

मंत्री महोदय ने राज्य सचिवों से कहा कि उन्हें केन्द्रीय अनुमति समिति से अनुमति लेने के लिए भूमिहीन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं तैयार करते समय निर्धारित निर्देशों का विशेष कर पिछड़े हुए जिलों में भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बहुलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ।

मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धीमी गति से अनाज के वितरण पर चिन्ता व्यक्त की । उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज सही लोगों को ही मिले ।

इस सम्मेलन में राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अनेक मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया । अपने उद्घाटन भाषण में मंत्रालय के सचिव श्री मोहिन्दर सिंह ने कहा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार के बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक कार्यक्रमों में से एक है । इस ओर सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए । उन्होंने इस योजना को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया । कार्यक्रम की सफलता के लिए विकास खण्ड और जिला स्तर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और हाल ही में आरम्भ किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के सम्बन्ध में उन्होंने रोजगार पैदा करने वाली इन योजनाओं में समन्वय के महत्व तथा स्थानीय संस्थाओं को इनकी आयोजना और क्रियान्वयन में शामिल किए जाने पर प्रकाश डाला ।

ऋण सहायता से सम्बन्धित विचार-विमर्श में बैंकों को नए मानदण्डों के अनुरूप काम करने और गरीबों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने पर जोर दिया गया । संगोष्ठी में न केवल कार्मिकों बल्कि कार्यक्रम से सम्बद्ध अन्य लोगों के लिए भी विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी सहमति थी । संगोष्ठी में ग्रामीण विकास सचिव की इस बात पर भी सहमति थी कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी की और प्रभावी बनाने के उपाय किए जाने चाहिएं । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह सहमति थी कि सभी स्तरों पर योजना और क्रियान्वयन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ

(शेष पृष्ठ 32 पर)

ग्रामोत्थान के लिए संगठनात्मक ढांचा

एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डा० आर० एस० जलाल
एवं
डा० एस० एस० बिष्ट

भारतीय ग्रामीण जन-जीवन का एक बड़ा भाग निश्चय ही दया का पात्र है, घोर दरिद्रता, कुपोषण, भीषण बेरोजगारी तथा निम्न जीवनस्तर—इनके जीवन की विशेषता बन कर रह गई है। इस समस्या पर एक विहंगम दृष्टि डालें, तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना चरमरा जाती है। स्पष्ट है कि उक्त समस्याओं का मूल आर्थिक विपन्नता में है और आर्थिक विपन्नता का मुख्य कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण एवं नगरीय दोनों में व्याप्त है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी विकरालता अत्यधिक है।

सरकार प्रतिवर्ष नए उद्योग-धन्धों से अत्यधिक मात्रा में रोज़गार मुहैया कराने का सक्रिय प्रयास करती है, परन्तु तीव्र जनसंख्या वृद्धि से समस्या में सुधार होने के बजाय और अधिक विकराल रूप धारण करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर पारिवारिक विघटन से, कृषि सीमान्त जोतों में ही विभक्त हो गई है, जिस पर प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है तथा इस पर तकनीकी कृषि उत्पादन बढ़ाना भी असंभव ही है। परिणामस्वरूप इस स्थिति से ग्रामीण दरिद्रता को बढ़ावा मिला है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 68 करोड़ के लगभग है, जिसमें 50 करोड़ जनसंख्या गावों में निवास करती है। विशाल जनसमूह वाले भारतीय गांवों में आज भी जनसंख्या का बड़ा भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार है। बेरोजगारी की यह सीमा प्रथम पंचवर्षीय योजना में मात्र 30.30 लाख थी, जो वर्तमान समय में 2.60 करोड़ तक पहुंच गई है।

यद्यपि विगत तीनों दशकों की पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप गांवों का बाहरी तौर पर विकास अवश्य हुआ है, परन्तु ग्रामीणों की आन्तरिक स्थिति (निर्धनता एवं बेरोजगारी) में वांछित सुधार नहीं हो पाया है। योजना आयोग के "कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन" द्वारा किए गए अध्ययन ने, इस तथ्य की पुष्टि की है कि ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई योजनाएं न तो अधिक प्रभावशाली रहीं और न अपने लक्ष्यों में ही सफल हो पाईं। इन विकास कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष ग्रामीण जनशक्ति को खपाने तथा जीवन निर्वाह योग्य स्थितियां प्रदान करने हेतु कोई आधारभूत ढांचा ढूंढने के प्रयास में असफलता ही मिली है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर सर्वाधिक जोर देने के बावजूद भी अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। वास्तव में इन योजनाओं को गम्भीरतापूर्वक क्रमबद्ध क्रियान्वयन ही, इनकी सफलता की पूर्व शर्त है। इस पूर्व शर्त को व्यावहारिक-रूप न मिलने के कारण ही ग्रामीण विकास योजनाएं अर्थहीन प्रतीत हो रही हैं।

वास्तविक सन्दर्भों में ग्रामीण विकास का तात्पर्य, ग्रामीणों की आन्तरिक स्थिति को सुधारना तथा उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। बाह्यरूप से (सड़कों के निर्माण, सिंचाई सुविधा, विद्युत आपूर्ति एवं शिक्षा प्रसार आदि) गांवों का विकास तब तक अधूरा रहेगा, जब तक कि व्यक्ति गत रूप से उनकी (ग्रामवासियों) माली हालत में सुधार न हो। ग्रामीण विकास का लक्ष्य ग्रामीणों की निर्धनता निवारण एवं उन्हें रोजगार मुहैया कराना है। अतएव ग्रामीण विकास हेतु नियोजित संस्थाओं की गतिहीनता तथा निम्न उत्पादकता को अत्यधिक क्रियाशील बनाकर, ग्रामवासियों की अर्थव्यवस्था को युद्ध स्तर पर सुधारा जाए, इसके साथ ही उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गुणवत्ता प्रदान की जाए।

ग्रामोत्थान हेतु कोई नया अभियान प्रारम्भ करने से पूर्व सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन करना अत्यावश्यक है। इस संदर्भ में दो बिन्दुओं पर विचार करना अपेक्षित है। एक तो गांवों के पिछड़ेपन एवं निर्धनता के वास्तविक कारणों का पता लगाना और दूसरा विकास परियोजनाओं को ग्रामीण पृष्ठभूमि में युद्ध स्तर पर लागू कर, विकास के वास्तविक परिणामों को सामने लाना। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य आवश्यकता रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों की निर्धनता-निवारण है। ग्रामीण विकास के लिए रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं इनमें अन्तः सम्बन्ध है। इस हेतु आवश्यक है कि ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित कर, छोटे, सीमान्त एवं खेतीहर मजदूरों तथा अदृश्य बेरोजगारों को अलाभकारी

खेतों से हटाकर, कुटीर उद्योगों की ओर प्रेरित किया जाए। इससे एक ओर कृषि से अतिरेक मिलेगा तथा अतिरिक्त रूप में बेरोजगारों का "आय–सृजन" भी हो पाएगा। यद्यपि इस दिशा में विगत पंचवर्षीय योजनाओं में, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा अनेक साहसिक कदम उठाए गए, परन्तु वे कारगर सिद्ध नहीं हो पाए। इसकी असफलता के कई कारण हैं। योजना को कार्यरूप देने से पूर्व, उनमें ग्रामीण विकास की सफलता के लिए निश्चय ही सहायक सिद्ध हो सकता है।

सर्वेक्षण

जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण होने के कारण योजनाओं में, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक था। इन योजनाओं को कुछ राज्यों में तो आंशिक-रूप से सफलता मिली, परन्तु शेष राज्यों में पूर्णतया विफल रही हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान एवं गुजरात के कुछ हिस्सों में 'एकीकृत विकास योजना' (आई० आर० डी०), अन्त्योदय एवं काम के बदले अनाज योजनाओं को कुछ सफलता मिली, परन्तु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में उक्त योजनाओं को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई। इसका एकमात्र कारण पूर्व सर्वेक्षण या पूर्व-जानकारी के कारण योजना को थोप देना था।

प्रायः योजना के निर्माता बाह्यरूप से योजना का निर्माण कर, उसे समग्ररूप में पूरे देश में लागू कर देते हैं, जिससे वान्छित परिणाम नहीं मिल पाते। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाए और यह पता लगाया जाए कि किस प्रकार के विकास कार्यक्रम उस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना, पर्यावरण एवं आवश्यकता के अनुरूप होंगे तथा उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं एवं वहां की आर्थिक अवसंरचना (इकोनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) किस प्रकार की है, तभी उस क्षेत्र के अनुरूप योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाए। उदाहरणार्थ पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन खाद्यान्न के लिए भी संभव नहीं है, वहां कृषि विकास के लिए ऋण-वितरण करना, असफलता का द्योतक है।

सर्वेक्षण के उपरान्त उक्त विकास योजना में राज्य सरकार का भागीदार होना आवश्यक है, जिससे स्थानीय कामगार उसे योजना को सुगमता से ग्रहण कर सकें। योजना की सफलता के लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि योजना सीमित पूंजी पर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके। "जनपद स्तर" पर ही सर्वेक्षण एवं योजना का चयन सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि इसमें स्थानीय जानकारी एवं विगत अनुभव भी समाहित होते हैं। इससे जनता की आवश्यकताओं और जिले की संसाधन प्रभाविष्णुताओं का आंकलन प्राप्त रहता है और अपने अधीनस्थ विकास खण्डों के बारे में भी सही जानकारी प्राप्त होती है। जिला नियोजन का महत्व इसलिए भी है कि यह विकास कार्यक्रमों की जानकारी का आदान-प्रदान राज्य स्तर से करता है।

समन्वित रणनीति

वर्तमान समय में ग्राम्य-विकास के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं में "सहकारिता", कृषि उद्योग, खादी-ग्रामोद्योग, आई० आर० डी० एवं एम० एफ० डी० आदि सभी का एकमात्र प्रयास ग्रामीण जरूरतमन्दों की सहायता कर, उनके आर्थिक स्तर में सुधार लाना है, लेकिन उचित समन्वय के अभाव में ये योजनाएं कारगर नहीं हो पा रही हैं। इसके विपरीत ग्रामीणजन विभिन्न विभागों से विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए ऋण लेकर, उसका दुरुपयोग करने लगे हैं; अन्ततोगत्वा ऋण की सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो पा रही है।

योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व, सभी सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क किया जाए तथा जनपद स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों स्थानीय अनुभवी व्यक्तियों, प्रशासकों एवं प्रौद्योगिकविदों की एक ऐसी कमेटी गठित की जाए, जो क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप, ग्रामीणोत्थान हेतु योजना का व्यावहारिक प्रारूप तैयार कर, उसे कार्यान्वित कर सकें।

प्रशिक्षण एवं प्रसार

"किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व, उस योजना के बारे में स्थानीय जनता को तकनीकी ज्ञान एवं योजना के उद्देश्य तथा महत्व से परिचित करना आवश्यक है, तभी जनता का सहयोग मिल सकता है। अतः विभिन्न माध्यमों से जनता को योजना के बारे में प्रशिक्षित करना एवं उन्हें तकनीकी जानकारी देना सफल विकास में सहायक है।" "ट्राइसेम" ट्रेनिंग द यूथ फार सैल्फ इम्प्लायमैण्ट" अर्थात् स्वयं के रोजगार की योजना (1979) का लागू किया जाना, इस दिशा में एक विकासोन्मुख कदम है।

अशिक्षा से संग्रसित ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उपक्रमी नवयुवकों का आह्वान किया जाए, जो नौकरी की अपेक्षा स्व-रोजगार के प्रति रुचि रखते हों। ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों के लिए आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत ऐसे नवयुवकों को छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क प्रशिक्षण देकर, स्व-रोजगार योजना के साधन भी उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे अर्थोपार्जन कर, स्वावलम्बी और अन्य ग्रामीणों के लिए प्रेरणास्रोत भी बन सकें। ग्रामोद्योग हेतु पारम्परित प्रशिक्षण प्रणाली में नई तकनीकी जानकारी का भी समावेश किया जाए, जिससे उत्पादन की क्षमता एवं उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सके, फलतः बड़े उद्योगों से निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा, उनकी खपत में आड़े न आ सके।

योजना के विस्तार हेतु तकनीकी जानकारी को प्रशिक्षण केन्द्रों तक ही सीमित न रखकर, उसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। इस कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण-शिविरों का आयोजन सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामोत्थान की प्रक्रिया में "राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम" भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण विकास के लिए "ग्रामीण क्षेत्रीय दृश्य एवं श्रव्य शिक्षा प्रसार संस्थान" की स्थापना की जाए, जिसके द्वारा ग्राम्य जीवन का समग्र चित्रण, उनकी निर्धनता के कारण एवं गरीबी निवारण के उपायों से सम्बन्धित चलचित्रों का निर्माण कर, उन्हें ग्रामीण स्तर पर लघु छवि-गृहों का निर्माण करके, उसके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाए।

ऋण वितरण

भारतीय परिप्रेक्ष्य में "वित्त" एक महत्वपूर्ण कारक (इकाई) है। 20 सूत्री आर्थिक

कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में, विभिन्न साख संगठनों के माध्यम से, न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण वितरित किया जाना व ग्रामीण क्षेत्रों में साख संस्थाओं का विकास करना, निश्चय ही एक साहसिक कदम है। लेकिन हमारे सामने अहम् सवाल यह है कि क्या यह धनराशि ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धों हेतु जरूरतमन्द व्यक्ति को, उसकी आवश्यकतानुसार, अपेक्षित समय में उसे सम्पूर्ण रूप में मिल रही है या नहीं, साथ ही वह व्यक्ति उक्त धनराशि का उपयोग सम्बन्धित विकास योजना में, निर्धारित समय में ईमानदारी से कर रहा है अथवा नहीं और इस सम्बन्ध में अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं। व्यावहारिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण से उक्त सवालों की नकारात्मक स्थिति ही देखने को मिलती है। इसके लिए प्रशासन कर्मचारी वर्ग एवं ऋण वर्ग समानरूप से दोषी हैं और यह प्रवंचना की प्रक्रिया ही उनका जीवन मूल्य बन गई है, जिससे वे न केवल देश, सरकार को, अपितु स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं।

उक्त संदर्भ में, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित विभाग एवं साख संगठनों को गम्भीरतापूर्वक यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण जरूरतमंद एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही पूर्णरूप में मिले तथा वे उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न करने पाए, साथ ही सम्बन्धित व्यवसाय से सुपरिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। प्रायः प्रशिक्षित एवं जरूरतमन्द व्यक्ति को स्व-रोजगार हेतु ऋण न मिलने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। विगत वर्षों के अध्ययन एवं सर्वेक्षण से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है। उदाहरणार्थ—"ट्राइसेम" योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में क्रमशः 123000 तथा 179000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से मात्र क्रमशः 45000 एवं 83000 व्यक्तियों द्वारा ही स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ किया गया।

साख संगठनों की नीति केवल ऋण वितरण करना ही नहीं होनी चाहिए, अपितु ग्रामीणों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना होगा कि वे स्वयं अपनी पूंजी का निर्माण कर, आत्मनिर्भर बन सकें। साख संगठनों द्वारा वस्तुरूप में साख-वितरण की सुविधा से सुदूरवर्ती ग्रामीणों को विशेष लाभ होगा तथा ऋण के दुरुपयोग पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

पर्यवेक्षण

उपर्युक्त मूलभूत तथ्यों के अतिरिक्त योजना के सफल संचालन के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। आज पर्यवेक्षण के अभाव में महत्वपूर्ण योजनाएं भी लड़खड़ा रही हैं। सम्बन्धित योजनाओं में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं अवांछनीय क्रियाकलापों से निपटने तथा योजना को सही रूप देने के लिए, योजना से सम्बन्धित पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कारगर सिद्ध हो सकती है। इसके लिए जनपद स्तर पर एक निष्पक्ष जांच समिति का गठन किया जाए, जो भ्रष्टाचार एवं दुरुपयोग के मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों को दण्डित कर सके। यदि ऐसा किया गया तो ऋण का सदुपयोग सम्भव हो सकेगा तथा वान्छित परिणाम भी प्राप्त होंगे।

विपणन सुविधा

ग्रामीण उद्योगों से निर्मित वस्तुओं की अकुशल विपणन व्यवस्था भी अप्रत्यक्षरूप से ग्रामीण विकास में अवरोध कारक रही है। उपभोक्ताओं के इच्छानुकूल वस्तुओं के निर्माण की कमी एवं बाजार-ज्ञान के अभाव में परम्परागत कौशल से ग्रामीण लघु उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं बड़े उद्योगों से निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम रहे हैं। अनेक कुटीर उद्योग, मध्यस्थों से प्रभावित रहने के कारण भी पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाए हैं। विपणन असुविधा के कारण मध्यस्थों द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति एवं वस्तुओं के विपणन में ग्रामीण उपक्रमियों का पर्याप्त शोषण किया जाता रहा है, जिससे अनेक उद्यमी भी कुशल विपणन व्यवस्था के अभाव में जोखिम में पड़ना नहीं चाहते हैं। अभी तक कुल उत्पादन में इन उद्योगों का 15 प्रतिशत अंश है।

अतएव ग्रामोद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की विपणन व्यवस्था का चुस्त एवं सुदृढ़ होना, ग्रामोत्थान हेतु सहायक हो सकता है। सहकारिता विभाग द्वारा उद्यमियों को इन उद्योगों की एक विपणन-समिति गठित करने को प्रेरित किया जाए, जो उत्पादकों की वस्तुओं के विपणन एवं कच्चे माल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण विकास की किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व, उसका समग्ररूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। योजना के निर्धारित स्थान की उपयुक्तता एवं परिणामों पर विचार किए बिना, प्रायः योजना लागू कर दी जाती है और वह मात्र सरकारी आंकड़ों तक ही सीमित रह जाती है। पूर्व योजनाओं की असफलताओं के कारणों का मूल्यांकन किए बिना, क्रमशः दूसरी योजनाएं लागू कर दी जाती हैं। उक्त योजनाओं में करोड़ों की धनराशि के व्यय किए जाने पर भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि योजना को कार्यरूप देने से पूर्व, उपर्युक्त व्यूहरचना का गहराई से अध्ययन किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो, हम निश्चित रूप से ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी पर आक्रमण कर पाने में सफल हो सकते हैं। अतः योजना के अपने में सक्षम होने पर भी, उसे सही दिशा में लागू किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। □

प्रवक्ता—अर्थशास्त्र विभाग
संघटक महाविद्यालय
कुमाऊं विश्वविद्यालय
परिसर, अल्मोड़ा—
263601 (उ० प्र०)

शिशु एक सुख अनेक

बीस सूत्र की सुनो कहानी, गांव गांव को बिजली पानी

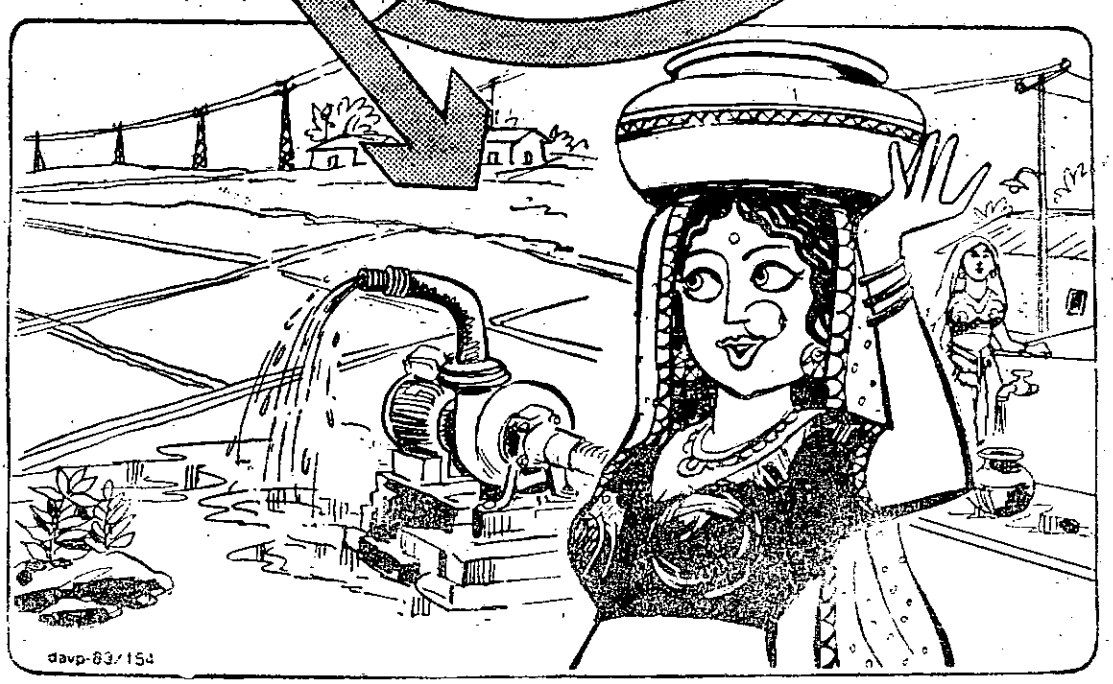

बस्तर के आदिवासियों की उल्लास स्थली

मड़ई

राम अधीर

गहन वन प्रांतरों में निवास करने वाले बस्तर के वनवासी या कि आदिवासी कुल-मिलाकर सदैव प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, इसका मूल कारण होता है उनकी दुनिया का छोटा होना। वे गहन जंगलों में रह कर हरियाली भी देखते हैं और पतझर भी। अपनी सीमित आवश्यकताओं के कारण ही बस्तर का आदिवासी प्रसन्न रहता है। वह जानता है कि नागरी-सभ्यता उसकी मूल-संस्कृति से उसका नाता तुड़वा सकती है जो संस्कारों के लिए आघातकारी हो सकती है।

आदिवासी-जन वर्ष में दो-चार बार ही मेले-ठेले या भीड़ से साक्षात्कार करना पसंद करते हैं—उतना साक्षात्कार ही उसके लिए वर्ष भर की आनन्दप्रद धरोहर बन जाती है। वह सूर्य के आतप को प्रकृति की देन मानता है और देवत्व से उसकी तुलना करता है। बस्तर के आदिवासी के अपने देवता होते हैं अपने मनोरंजन के साधन होते हैं, अपने उल्लास होते हैं और इन सबसे हटकर होती है अपनी उसकी मौलिक जीवन-यात्रा, जिसे वह कंधे पर कुल्हाड़ी और कांवर और हाथ में तुम्बा लेकर तय करता है। नागरी-सभ्यता के वरदानी-जन इन भोले और नादान आदिवासियों के बीच जाते हैं तो उन्हें केवल एक ही प्रश्न झकझोरता है कि सभ्यता की रोशनी तक इनका नहीं पहुंचना भी अनेकों बार क्षणिक-प्रसंग भी बस्तर के आदिवासियों में वर्षभर के लिए उमंग भर देते हैं। अमूमन यही कहा जा सकता है कि, बस्तर की बतार और वहां का आदिवासी-समुदाय एक-दूसरे के पूरक या कि पर्याय होते हैं। और यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है।

बस्तर के आदिवासियों के लिए मड़ई का विशेष महत्व होता है। मड़ई वास्तव में एक बड़े बाजार का ही स्वरूप होता है जो कुछेक स्थानों पर ही वर्ष में एक बार लगती है। ऐसे आदिवासी-जन मेला समझ कर अत्यन्त उत्साह और प्रसन्नता के साथ इसमें सपरिवार हिस्सा लेते हैं। बस्तर के भोले आदिवासी मड़ई में ही दूर-दराज के अपने सगोत्रीय और रिश्तेदारों से मिल लेते हैं। ये लोग इस मान्यता के भी पोषक हैं कि मड़ई में देवी-देवताओं का आगमन होता है। वे मड़ई में एक स्थान का चयन कर अपने देवी-देवताओं का पूजन गाजे-बाजे, भजन-कीर्तन और ढोल-ढमाके के साथ कर देते हैं। उनकी यह मान्यता भी है कि मड़ई में देवी-देवता का पूजन, वर्ष भर की आपदाओं से मुक्त रखता है।

मूलतः मड़ई का मौसम, बस्तर के आदिवासियों के लिए फरवरी माह से प्रारम्भ होकर मई माह के अन्त तक चलता है। फरवरी माह से बस्तर एक अनोखी बतार लेकर झूमता है। मदिरा के प्रेमी आदिवासी जन महुए की मादकता बिखेरने वाली सुगन्ध में डूबने लगते हैं। इसी महुए की मदिरा से आदिवासी, अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न रखते हैं। इसी सुरभित वातावरण में आदिवासी-जन नाच-गाकर देवताओं के आराधना गीत गाते हैं और जीवन के समूचे कलुष को धोने का उपक्रम करते हैं। उसके हाथ क्षमा के लिए होते हैं। और उसके पांव मड़ई-मेलों की ओर बड़ी हाटों की ओर बढ़ने लगते हैं।

बस्तर के आदिवासी संघ अंचल में मड़ई का विशेष महत्व होता है। बस्तर में कांकेर, कोंडागांव, चपका, फासगांव, ओरछा, महेड़, दन्तेवाड़ा, बस्तर, धवड़ई के अलावा विश्व-विख्यात नारायणपुर की मड़ई होती है। नरायणपुर, बस्तर जिले का तहसील का मुख्यालय है, और इस मड़ई में अबूझ-माड़ के आदिवासी भी एक-एक माह पूर्व अपने घरों से निकलकर पहुंचते हैं जिन्होंने अबूझमाड़ की जिन्दगी को नहीं देखा है, वे जन भी नारायणपुर आकर मूल-आदिवासी संस्कृति को देख सकते हैं। अनेक विदेशी भी नारायणपुर की मड़ई के आकर्षण होते हैं। गहन-वन प्रांतरों, झाड़ियों, कंटीले रास्तों को पार कर हजारों आदिवासी-परिवार यहां की शोभा होते हैं।

मड़ई की पृष्ठ भूमि यह होती है कि सुदूर वनांचलों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी-जन स्वस्थ-मनोरंजन के अलावा अपनी वर्ष भर की जरूरतों को पूरा करने वाली सामग्री खरीद सकें। किस ग्राम में यह मड़ई कब लगेगी यह निश्चित करना तो शासन के अधीन है—लेकिन, मड़ई की तिथि का निर्धारण आदिवासी-सिरता (भविष्य कथन करने वाला) ही करता है। इसके बाद ही सरकार व्यवस्था करती है। इसके बाद भी मड़ई की धार्मिक और सांस्कृतिक-परम्परा का पालन आदिवासी जन ही करते हैं। देवी-देवता के पूजन से लगाकर अपने पारम्परिक नृत्य का समय और सूत्रों का निर्धारण भी यही समुदाय करता है।

बस्तर जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है, फिर भी अपनी सांस्कृतिक-रक्षा में यहां के आदिवासी सबसे आगे हैं। नारायणापुर की मड़ई में तरुण आदिवासी बालाएं और युवक, आबाल वृद्ध मड़ई की विशेष वेष-भूषा में बाहरी लोगों को अनायास ही आकर्षित कर लेते हैं। कुंवारे तरुण और तरुणियां बेपरवाह होकर मड़ई में विचरण करते हैं। किन्तु, लज्जा को वे अपना भूषण मानते हैं। नारायणापुर की इस ऐतिहासिक मड़ई में मैंने दर्जनों आदिवासी तरुण-तरुणियों को अल्हड़पन में बनाव-सिंगार कर

नाचते-गाते और आपस में बतियाते देखा है।

मड़ई में इस प्रकार के दृश्य और प्रसंग देखकर यही अनुभूति होती है कि वास्तविक स्वतन्त्रता इन्हीं के हिस्से में आयी है। और पैंतीस वर्षों की स्वतन्त्रता कोई अर्थ नहीं रखती। दर्जनों विदेशी जोड़े यहां कैमरा लेकर घूमते हैं लेकिन, अल्हड़ आदिवासियों की तस्वीर ले पाना इतना आसान नहीं होता और न कोई लोभ इन्हें झुका सकता है।

नारायणपुर की मड़ई का सबसे बड़ा आकर्षण होता है—वहां का एदाल और नृत्य। यह नृत्य आदिवासियों का पारम्परिक नृत्य होता है। मड़ई की समापन-रात्रि में हजारों आदिवासी—तरुण-तरुणियां एक मैदान में एकत्र होकर गोलाकार रूप में नाचते हैं। उनके पांवों में बंधे घुंघरू 5–6 किलो वजन से कम नहीं होते। नृत्य में शरीक होने वाले युवक प्राय: मदिरा पीते हैं। रात्रि 9–10 बजे से प्रात: भोर की किरण तक यह नृत्य होता है। ये तरुण आदिवासी न तो थकते हैं और न क्षण-भर को बैठते हैं। मड़ई कहीं की भी हो—उसमें घुंघरू की झंकार, ढोलक और मृदंग की थाप सुहानी लगती है।

सभ्यता की आंखों में, मड़ई एक साधारण प्रसंग हो लेकिन, देव-पूजा और आराधना के क्षणों से एदालतोर नृत्य तक तो यह वनवासी समुदाय इसमें डूबा रहता है।

यह एक इतिहास-सम्मत सत्य है कि आदिवासी और वनवासी जीवन में आमोद-प्रमोद के क्षण विपुल नहीं होते—लेकिन, इन क्षणों को भी वे देव-कृपा मानते हैं। सारे कलुष-मनोमालिन्य को धोकर आदिवासी—जन मड़ई, मेले और मनोरंजक अवसरों का लाभ उठाते हैं। कुल मिलाकर बस्तर के आदिवासियों में मड़ई आधुनिकता में भी प्राचीनता की प्रतीक है। □

राम अवीर
एफ०—108/1,
शिवाजी नगर,
भोपाल—462 006

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव श्री मोहिन्दर सिंह की अध्यक्षता में जनवरी में राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रभारी सचिवों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन म ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के तरीकों पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस आशय की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को गेहूं एक रुपया पचास पैसे प्रति किलो और चावल 1.85 रु० से लेकर 2.10 रु० प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

राज्यों के सचिव इस विषय पर सहमत थे कि इस निर्णय को तुरन्त लागू करने में कोई विशेष परिचालन संबंधी समस्याएं नहीं हैं। कुछ राज्यों ने तो इसके क्रियान्वयन के लिए पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी है। राज्यों के सचिवों ने तो इस बात पर बल दिया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय खाद्य निगम बिना विलम्ब राज्य सरकारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता रहे। कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की चर्चा की। सम्मेलन में यह मुद्दा भी उठाया गया कि परिवहन, भंडारण और संचालन व्यय के लिए प्रति किलो 15 पैसे की दर वास्तविक खर्च को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने यह स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सहायता राशि अग्रिम रूप से जारी करने के लिए तैयार है। परन्तु उन्होंने कहा कि क्योंकि यह राशि बहुत अधिक नहीं है इसलिए राज्य इन दो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए पहले से उपलब्ध कोष से यह सहायता राशि ले सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि सहायता राशि का आकलन करते समय बिक्री कर, आक्ट्राय जैसे स्थानीय कर शामिल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों को ही यह निर्णय करना है कि खाद्यान्न उचित दर की दुकानों अथवा विभागीय एजेंसियों या फिर विभिन्न माध्यमों के संगठन द्वारा वितरित किए जाएं। वितरण के लिए किए जाने वाले उपाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। श्री सिंह ने इस बात पर सावधानी बरतने के लिए कहा कि वितरण प्रणाली में बिचौलियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि योजना के लाभ बिना किसी कठिनाई के गरीबों तक पहुंच सके। सम्मेलन में यह आशा व्यक्त की गई कि सहायता शुरू किए जाने से इन ग्रामीण कार्यक्रमों के श्रमिकों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता काफी हद तक बढ़ जाएगी। □

पहला सुख निरोगी काया

मूली और स्वास्थ्य

डा० प्रकाश चन्द्र गंगराड़े

हमारे देश में ही नहीं वरन् संसार के लगभग सभी देशों में मूली पाई जाती है। यह एक रुचिवर्द्धक और स्वादिष्ट कन्द है, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। यह विशेष रूप से शरद् ऋतु में होती है लेकिन अनेक स्थानों पर पूरे वर्ष प्राप्त होती है। इसे कच्ची और शाक बनाकर खाया जाता है। इसका नामकरण संस्कृत के शब्द मूल यानी जड़ से मूली रखा गया है। इसके अन्य प्रमुख नाम मूला, मूलक, मूरे, मल्लामूल्लगी, मूलगी, रेडिश, रेफेनस सेटाइवस हैं।

रंग भेद के आधार पर मूली सफेद और गुलाबी दो प्रकार की मिलती है। गुलाबी मूली बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि सफेद मूली बहुतायत से पाई जाती है। सफेद मूली आकार प्रकार में बड़ी और छोटी दो तरह की मिलती है, जिनके गुणों में थोड़ा सा अंतर होता है।

मूली से कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, जिससे भोजन रुचिकर और पाचक बन जाता है। उसके पत्तों का शाक पाचक, रुचिकर व उष्ण होता है। कच्चे पत्ते खाए जाएं तो कफ व पित्त को बढ़ाते हैं। घी के साथ इसका पकाया हुआ शाक त्रिदोष-नाशक होता है। मूली का शाक बवासीर, प्लीहा वृद्धि आदि रोगियों के लिए लाभप्रद पाया गया है। मूली और बैंगन की मिली जुली सब्जी रुचिकर होती है। इसका शाक आलू के साथ भी अच्छा लगता है। मूली से अचार भी बनाया जाता है, जो बड़ा स्वादिष्ट लगता है।

मूली के कंद की लम्बाई छह-सात इंच से लेकर अठराह इंच तक और मोटाई एक-दो इंच से लेकर पांच-छह इंच तक होती है। नीचे का भाग सबसे पतला होता है, जो क्रमशः ऊपर की ओर मोटा होता जाता है। इसके पत्ते, फूल व फलियां सरसों से कुछ मिलते जुलते हैं। भिन्नता पत्ते के मोटेपन, चिकनेपन, फूल के रंग का सफेद होना, फली के बीज का लाल होना में पाई जाती है। हां, बीज कुछ बड़ा और लम्बा अवश्य होता है।

जब मूली का पौधा पक जाता है तब इसमें फलियां लगती हैं, जिसे मौगरी कहा जाता है। इन्हीं में बीज रहते हैं। बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसका स्वाद व गंध मूली जैसा ही होता है।

आयुर्वेदिक मतानुसार बड़ी मूली रूक्ष, गरम, भारी और त्रिदोष-नाशक है जबकि छोटी मूली गरम, रुचिकर, हल्की, पाचक, त्रिदोष-नाशक, स्वर को शुद्ध करने वाली तथा कंठ, नेत्र, नासिका के रोगों, ज्वर, श्वास को दूर करती है।

स्वाद की दृष्टि से मूली तीती व रुचिकारक होती है। प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग अरुचि, अग्निमांद्य, अपच, बवासीर, पथरी, सुजाक, श्वास, मासिक धर्म में कष्ट का न होना, कब्ज, मूत्रकष्ट, हिक्का, शोथ, हृदयरोग आदि पर होता आ रहा है।

प्रातःकाल मूली खाना ठीक नहीं होता लेकिन दोपहर को खाने से यह पाचक और गुणकारी प्रभाव पैदा करती है। जितनी ताजी मूली गुणकारी होती है, उतनी बासी नहीं। बासी मूली दाह, पित्त और रुधिर के विकार पैदा करती है। कच्ची मूली दोपहर और पकी मूली का असर त्रिदोषकारक होता है। सूखी हुई वात, पित्त, कफ और विषहर है।

भोजन करने से पहले खाई गई मूली पित्त और दाहकारक होती है। भोजन के बीच और बाद में सेवन की गई मूली हितकारी और बलकारक असर करती है। इसकी फली कुछ गरम व वात, कफ नाशक तथा फूल पित्तजनक और कफकारक होते हैं।

ताजे मूली के पत्तों का शाक हल्का, गरम, रुचिकारक और पाचक है। इसमें विटामिन 'सी' अधिक मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा में कुछ खनिज लवण भी पाए गए हैं। क्षारयुक्त होने के कारण मूली मूत्रल प्रभाव भी दिखाती है।

यद्यपि उदर विकारों में मूली एक अचूक औषधि का कार्य करती है फिर भी इसके बारे में यह कहावत बहुत मशहूर है कि खाई हुई अन्य वस्तुओं का पाचन यह शीघ्रता से कर देती है लेकिन स्वयं देर से हजम होती है। यदि ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लिया जाए तो मूली स्वयं भी शीघ्र हजम हो जाती है।

मूली से विभिन्न रोगों में लाभ उठाया जा सकता है। इसका न केवल कंद वरन् पत्ते व बीज भी औषध रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहां ऐसे ही कुछ सरल, उपयोगी प्रयोग दिए जा रहे हैं जिनसे प्रत्येक गृहस्थ लाभ उठा सकता है।

*पेशाब यदि रुक जाए तो मूली के थोड़े से रस में दो

चुटकी खाने का सोड़ा मिलाकर सेवन करने से पेशाव आना शुरू हो जाता है ।

*कान दर्द और उसके बहने में मूली का जितना रस (दो चम्मच) हो, उससे दुगुना सरसों का तेल (चार चम्मच) मिलाकर आँच पर पकाएं । जब मात्र तेल बचे तब उसे शीशी में भरकर रख लें । ड्रापर से कान में दो-तीन बूंद टपकाएं ।

*सुजाक रोग में एक मूली के चार टुकड़े करके उस पर छः माशे भुनी हुई फिटकरी छिड़क कर बाहर मैदान में या छत्त पर रख दें ताकि उस पर ओस गिर सके । सुबह मूली को खाकर बचे पानी को पी लें । बहुत लाभप्रद है ।

*बवासीर में मूली का अचार, मूली के पत्तों का रस, नियमित रूप से पीना बहुत फायदेमंद पाया गया है ।

*बिच्छू के डंक के स्थान पर, मूली पर नमक लगा कर रगड़ने से जलन, पीड़ा कम होती है और जहर भी उतरने लगता है ।

*मासिक धर्म न आने पर मूली के बीज 3 माशे दिन में दो-तीन बार देना चाहिए ।

*सूजन में तिल के साथ मूली चटनी की तरह पीसकर खाना और मूली की राख को सरसों के तेल में मिलाकर बाह्य मालिश करने से आराम मिलता है ।

*मूली की लुगदी कांख और जांघ में बनी गांठ पर बांधने से वह बैठ जाती है ।

*हिचकी अधिक आने पर मूली का रस पिलाना चाहिए । इससे श्वास की तकलीफ भी कम होती है ।

*गुर्दे की सूजन और पथरी में मूली के रस में मकोय के पत्तों का बराबर रस मिलाकर पीना गुणकारी है ।

*सिरके में मूली और पपीते के छोटे-छोटे टुकड़े डालकर फिर इसे खाएं । ऐसा करने से जठराग्नि तेज हो जाएगी और यकृत रोग भी खत्म हो जाएंगे ।

*पीलिया रोग में मूली के पत्तों का रस शक्कर के साथ मिलाकर देना लाभप्रद होता है ।□

क्वा. 902, एन-2 हबीबगंज,
भोपाल-462024

आसान बनाइए

जी हां,
बहुत ही है समस्या
आज है मौनी अमावस्या
गंगा स्नान के लिए है जाना
पांच बच्चों के साथ
इस जाड़े में
कोई रिक्शा तैयार नहीं
कम भाड़े में
मेरे साथी रिक्शे से जाकर
रिक्शे से लौट आए
लेकिन हम अभी तक
जा ही न पाये
हममें-उनमें बहुत बड़ा है अन्तर
यह नहीं है कोई जादू-मन्तर
वे दो बच्चे के आबाद पिता हैं
हम पांच बच्चों के बरबाद पिता हैं
मैंने गलती की
परन्तु आप न दोहराइए
एक ही बच्चे से
जिन्दगी आसान बनाइए ।

श्याम नारायण श्रीवास्तव

गांव श्रमिक

भोले-भाले श्रमिक गांव के
निश्छल इनकी भाषा है
खेतों में हरियाली इनसे
झूम रही अभिलाषा है
मिट्टी को धन-धान्य करें
ये
बीस-सूत्र व ग्राम विकास से
भाग्य उदय हो इन पर भी

रजत

किसान

श्रम है इनका जीवन-दर्शन,
मुक्ता कण उपजाते हैं,
भले पराये हों या अपने
सबको गले लगाते हैं ।

भगवती प्रसाद द्विवेदी

बोने को जमीन,
रहने को घर,
बीस सूत्र की
बनी डगर।
davp-83/155

केन्द्र के समाचार

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सिंहभूम जिला सबसे आगे

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आदिवासी जिला सिंहभूम सबसे आगे रहा है।

वर्तमान वर्ष में, इस जिले में 537 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया गया है। इस जिले के सरायकेला प्रखंड में शुष्क भूमि खेती शुरू की गई है। परिणामस्वरूप 810 एकड़ भूमि में खरीफ की फसल तथा 387 एकड़ भूमि में रबी की फसल उगाई गई है।

इस जिले में दाल तथा तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। खरीफ की फसल के दौरान दस हजार चार सौ मी० टन दाल तथा डेढ़ हजार मी० टन तिलहन की फसल प्राप्त हुई।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 13 हजार 785 लोग लाभान्वित हुए जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जनजाति से हैं।

पेय जल सुविधा मुहैया कराने के लिए इस जिले में अब तक 342 नलकूप लगाए गए हैं। इनमें से 258 नलकूप ग्रामीण इलाकों में हैं।

इस जिले में 18 गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं तथा 21 और ऐसे संयंत्र अभी निर्माणाधीन हैं।

भूमिहीन परिवारों को 60 आवास-स्थल वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस जिले के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 675 आवासीय इकाइयां आवंटित की गई हैं।

इस जिले में 19 हजार एकड़ भूमि में वृक्षारोपण योजना आरंभ की गई है।

पांच राज्यों में मछली पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष अभियान

केन्द्र सरकार ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में फरवरी से 15 मार्च, 1984 की अवधि के दौरान जलचर पालन को लोकप्रिय बनाने तथा गांवों में तालाबों एवं पोखरों का विकास करने की दृष्टि से सरकार एवं बैंकों, दोनों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष अभियान चलाया है।

उड़ीसा के 13 जिलों में से 11 जिलों के गांवों में तालाबों एवं पोखरों में वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मछली विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम के अधीन कोरापुट और कालाहांडी जिलों को लाया गया है।

उड़ीसा में 1,000 कि० ग्राम प्रति हैक्टेयर उत्पादन की क्षमता वाले 6,000 हैक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन शुरू किया जा चुका है।

मछली पालन के लिए अच्छी किस्म के मछली बीज जरूरी होते हैं, इसके लिए राज्य में मछली बीज विकास निगम का गठन किया गया है। यह निगम विश्व बैंक की सहायता से मछली पालकों में सात करोड़ 40 लाख टन मछली बीज को वितरित करने के लिए चार बड़े आकार के मत्स्य के प्रजनन क्षेत्र तैयार करा रहा है।

पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के गांवों में भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा ही कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

गांव के गरीब लोगों के लिए ऋण

गया जिले के मखदूमपुर खंड के छह गांवों के 231 व्यक्तियों में चार लाख 43 हजार रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया। ऋण वितरण के लिए मगध ग्रामीण बैंक की तेहता शाखा ने एक विशेष शिविर आयोजित किया।

गरीब ग्रामीण परिवारों को यह सहायता समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है। यह राशि, पशु, रिक्शा, पम्प सैट और सिलाई की मशीनें खरीदने तथा छोटी दुकानें खोलने के लिए दी गई है।

मगध ग्रामीण बैंक की तेहता शाखा ने अब तक 743 ग्रामीण परिवारों को सहायता दी है। इनमें से 387 परिवार अनुसूचित जातियों के हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बिहार के अकेले नवादा जिले में ही 4,254 व्यक्ति समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 2,719 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं। इस वर्ष का लक्ष्य 6,611 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवक स्वरोजगार कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत 241 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 97 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं। इनमें से 121 व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 200 एकड़ फालतू भूमि के आबंटन के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अब तक 104 एकड़ फालतू भूमि आबंटित की जा चुकी है।

पिछले वर्ष दिसम्बर माह तक 63 समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसके लिए 426 नए हैंड पम्प लगाए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में 434 हैंड पम्प लगाने का लक्ष्य है। ये हैंड पम्प न्यूनतम आवश्यकता तथा त्वरित (एक्सेलेरेटेड) ग्रामीण जल कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगाए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा काकद्वीप के 425 ग्रामीण लाभान्वित

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में काक द्वीप के 425 ग्रामीणों में लगभग 5 लाख 60 हजार रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा आयोजित एक विशेष कैम्प में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीणों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चीनी मिट्टी के बर्तन, चटाई, टोकरी, लोहे के बर्तन, संगीत वाद्य बनाने और लकड़ी का काम शुरू करने तथा धान की भूसी खरीदने के लिए ऋण वितरित किए गए। इस एक ही कैम्प में ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या पिछले दो वर्षों में कुल ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या का 354 प्रतिशत है।

भारतीय स्टेट बैंक के बंगाल सर्किल ने जिसमें पूरा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप शामिल हैं, अभी तक 24,000 लोगों को 2 करोड़ 50 लाख रुपये के ऋण वितरित किए हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए योग्य लोगों का चयन एक कार्यदल द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय खंड विकास अधिकारी, पंचायत सदस्य तथा भारतीय स्टेट बैंक का एक अधिकारी शामिल थे।

देश में विभिन्न राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा नए बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के और भी कई कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में 1.52 लाख परिवारों को सहायता

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अंतर्गत महाराष्ट्र में वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में 1,77,600 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के 1,52,210 निर्धन परिवार लाभान्वित हुए हैं। यह उपलब्धि 86 प्रतिशत थी। लाभान्वित परिवारों में 36,668 अनुसूचित जातियों तथा 17,754 अनुसूचित जनजातियों के परिवार शामिल हैं। इसी अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लाभ के लिए 79.76 लाख जन दिवस के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए गए। बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी, 1984 तक की अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

कुल मिलाकर 11,089 गरीब परिवारों को आवासीय खंड प्रदान किए गए जबकि 14,644 परिवारों को निर्माण सहायता प्रदान की गई। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 7,738 आवास उपलब्ध कराए गए।

*637 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। 38,500 पम्पसेटों के लक्ष्य के मुकाबले 44,103 पम्पसेटों को बिजली दी गई।

*राज्य के विभिन्न भागों में 13,80,00,000 पेड़ लगाने के लक्ष्य की तुलना में 19,40,00,000 पेड़ लगाए गए।

*ग्रामीण लोगों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के तौर पर 5,092 गोबर गैस संयंत्र लगाए गए।

*परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 4,12,162 नसबन्दियां की गईं। यह राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य का 82.3 प्रतिशत था।

*स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 228 सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 700 उपकेन्द्र स्थापित करके राज्य ने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 17 आई० सी० डी० एस० ब्लाकों के लक्ष्य के मुकाबले 29 आई० सी० डी० एस० ब्लाकों की मंजूरी दी गई। इस प्रकार यह 170.6 प्रतिशत उपलब्धि रही। □

ग्रामीण विकास सचिवों का सम्मेलन

राज्य सरकारों को और बड़े पैमाने पर स्थानीय, निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना चाहिए।

श्रमिकों को रियायती दरों पर उचित समय पर अनाज की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए।

मंत्रिमण्डल सचिव श्री सी० आर० कृष्णराव ने संगोष्ठी में भाग लेने वालों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना बनाने के लिए अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने को कहा तथा परियोजना बनाने के लिए परियोजना अधिकारियों एवं अन्य लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण

[पृष्ठ 21 का शेषांश]

का सुझाव दिया।

संगोष्ठी ने अपनी एक विशेष बैठक में उत्तरी-पूर्वी राज्यों की समस्याओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इन क्षेत्रों में विशिष्ट योजनाएं लागू करने के लिए विशेष योजना कक्ष बनाने का सुझाव दिया गया है। □

सफलता की कहानी

श्रम और लगन का सुफल

श्री सरवन सिंह, गांव 2-बीबी तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर के एक कृषक परिवार के 5 लड़के और दो लड़कियों के परिवार में तीसरा बच्चा है। जब इसकी आयु 8 वर्ष की थी तो लकवा मार गया दोनों ओर के अंगों ने काम करना छोड़ दिया। काफी इलाज के बाद एक टांग तो ठीक हो गई मगर दूसरी नहीं ठीक हो पाई। अब अच्छी शिक्षा ही अपना ध्येय बना कर मेहनत व लगन से पढ़ाई आरम्भ की तो 1980 में बी० ए० पास कर लिया। विकलांग होने के कारण कृषि का कार्य तो कर नहीं सकता था, इसलिए मां बाप ने भी उलाहने, ताने कसने शुरु कर दिए, यहां तक कि बाप ने एक दिन कह ही दिया "तू तो न तीन में है न तेहरह में", तो उसी दिन से कुछ कर दिखाने की ठान ली। 1981 अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित हो गया तो सोचा विकलांगों की सुनी जाएगी। नियोजन कार्यालय, समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटने शुरू किए कि कहीं नौकरी मिल जाए तो बाप के कहे का निराकरण कर सकूं। मगर सिवाए निराशा के कुछ हाथ नहीं लगा। इस मुश्किल के दिनों में अंग्रेजी की टाइप करना सीखा मगर वह किसी काम नहीं आया। इतना होने के बावजूद भी भाग्य को नहीं कोसा और अपनी कोशिश जारी रखी। कहते हैं बुरे दिनों में अगर कोई अच्छी नसीहत दे तो वह भी बुरी लगती है। मगर सरवन सिंह को अच्छी नसीहत रास आई जो कि श्री गंगानगर के आई० टी० आई० के सुपरीन्टेन्डेन्ट श्री के० सी० शर्मा ने दी कि वह क्यों नहीं राजस्थान वित्त निगम से कर्ज ले कर कोई काम शुरु कर लेता।

भारी या भाग दौड़ का काम करने में असमर्थ सरवन सिंह ने करणपुर में फोटोस्टैट की मशीन लगाने की सोची। नौकरी ढूंढने के चक्कर छोड़ उसने राजस्थान वित्त निगम के चक्कर लगाने आरम्भ किए। वित्त निगम को प्रारम्भिक निवेदन पत्र के साथ लगने वाले परिपत्र आदि पूर्ण करते-करते एक महीना लग गया। 30 मई, 1983 को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया तो वित्त निगम ने झटका दे दिया कि करणपुर में फोटोस्टैट का कोई विस्तार नहीं है अतः लोन नहीं मिल सकता। कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, अब फिर से वही चक्कर और वही भागदौड़। अन्त में राहत दिलाई अतिरिक्त जिलाधीश, 20-सूत्री कार्यक्रम ने जिन के कहने पर निगम ने 19000/- रुपये का लोन मन्जूर कर दिया। इस पर उसे 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा। 30 मई, 1983 से 25 नवम्बर, 1983 का समय लोन मन्जूर करवाने में लग गया और इन दिनों में जो भटकने उसने सहन किए उसे सदा याद रहेंगे।

अखिर वह सुखद दिन 10 दिसम्बर, 1983 को आया जब उसने अपनी दुकान खोल ली और वह अपने बाप के कहे उलाहने का पहला चरण (तीन में से) पार कर गया। अब उसका लक्ष्य तेरह में से बनने का है ताकि कल को उस के बाप की तरह कोई किसी विकलांग को यह बात दुबारा न कह सके। वह अपनी किश्त को समय पर वापस करने के लिए दृढ़ संकल्प है और इसी लिए उसने बीकानेर–जयपुर बैंक की स्थानीय शाखा में अपना खाता खोल लिया है जिसमें वह रोजाना कुछ राशि जमा करवा देता है ताकि किश्त देते समय मुश्किल न आए। वह कहता है समस्याएं तो आती हैं मगर घबराने से काम नहीं चलता। आदमी भले ही विकलांग हो अगर लक्ष्य रख कर कोशिश करे तो उसे लक्ष्य जरूर मिल जाता है। भगवान के घर देर है अन्धेर नहीं।

वह अपनी जीविका का साधन बन जाने से सतुंष्ट है मगर अब वह अपने विकलांग समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है। उन्हें केवल यह शिकायत है कि सरकार जो अच्छी योजनाएं शिक्षित बेरोजगारों और खास कर विकलांगों के उत्थान के लिए बनाती है वह उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पातीं और अगर पहुंच भी जाएं तो इतनी औपचारिकताएं हैं कि अधिकारी ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर औपचारिकताएं कम कर दी जाएं और गाइडेन्स (सलाह) अच्छी और समय पर मिल जाए तो यह ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वह अपने विकलांग भाइयों के दिमागों में से हीन भावना को खत्म करने का प्रयास करता है और दूसरे समाज सुधारकों से भी चाहता है कि वे विकलांगों के प्रति करुण भावना को छोड़ उन्हें ऊपर उठाने को सरकार से आग्रह करें ताकि विकलांग अपने आप को समाज के ऊपर बोझ न समझें।□

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
श्रीगंगानगर

आर० एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D(DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

कड़ी मेहनत का सुफल भरपूर फसल और सबके मन का उल्लास

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।